

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

# अनुदेशिका-2011

मान्यता प्राप्त शालाओं के प्रधानों के लिये  
(निर्देश पुस्तिका के अध्याय-16 विनियम-21 के अन्तर्गत)  
अगस्त 2011 तक संशोधित

बोर्ड के कार्यक्षेत्र और कार्यक्षेत्र के बाहर के छात्र/छात्राओं से सम्बन्धित मान्यता प्राप्त शालाओं में प्रवेश, अन्य बोर्डों की परीक्षाओं से समकक्षता, पात्रता प्रमाण-पत्र विषय/वर्ग परिवर्तन, स्वअध्ययन, नाम/पिता के नाम/माता के नाम/जन्मतिथि में संशोधन, प्रमाण पत्र वितरण एवं बोर्ड के विभिन्न प्रलेखों की प्रतियां जारी करने के सम्बन्ध में बोर्ड नियम



माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर  
परीक्षा-द्वितीय अनुभाग

## महत्वपूर्ण सूचना

छात्र/छात्राओं के लिये सूचनार्थ लेख हैं कि बोर्ड बैठक दिनांक 24, 25 सितम्बर 04 के प्रस्ताव संख्या 3 की स्वीकृति की अनुपालना में सूचित किया जाता है कि बोर्ड परीक्षा वर्ष अनुसार प्रतिवर्ष पूरक परीक्षा के परिणामों की अंतिम घोषणा की दिनांक को आधार मानते हुए कार्यालय में विगत 40 वर्षों की परीक्षाओं की सारणी रजिस्टर (Tabulation Register) ही सुरक्षित रखे जायेगे तथा इस अवधि के लिये ही परीक्षार्थियों को कार्यालय द्वारा प्रतिलिपि प्रलेख जारी किये जायेगे। इससे पूर्व के वर्षों के सारणी रजिस्टर (Tabulation Register) प्रतिवर्ष क्रमशः नष्ट कर दिये जायेंगे तथा नष्ट किये गये सारणी रजिस्टर के प्रतिलिपि प्रलेख व अन्य जानकारी कार्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई जायेगी।

**नोट :-** बोर्ड कार्यालय द्वारा उक्त क्रम में वर्ष 1970 एवं इससे पूर्व के समस्त सारणी रजिस्टर (Tabulation Register) नष्ट किये जा चुके हैं अतः इस वर्ष से पूर्व से सम्बन्धित किसी भी रिकॉर्ड की प्रतिलिपि/दस्तावेज/ जन्मतिथि सत्यापन बोर्ड द्वारा नहीं किये जायेंगे।

**माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान**  
**बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त समस्त माध्यमिक/उच्च माध्यमिक**  
**एवं संस्कृत विद्यालयों के प्रधानों को**

बोर्ड द्वारा छात्रों के प्रवेश/विषय/वर्ग परिवर्तन, विषय स्वअध्ययन, जन्मतिथि, छात्र/छात्रा के नाम/पिता के नाम/माता के नाम में संशोधन, प्रमाण—पत्र आदि मामलों के सम्बन्ध में लिए गए निर्णय प्रतिवर्ष नियम/निर्देश के रूप में शालाओं के सूचनार्थ समय—समय पर भेजे जाते हैं, किन्तु इसके बावजूद भी कतिपय शाला प्रधान छात्रों के मामलों में स्पष्ट नियम एवं निर्देशों के विपरीत कार्यवाही करते हैं जिससे छात्रों के साथ—साथ कार्यालय को भी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति इस वर्ष उत्पन्न न हो, इसे ध्यान में रखते हुए आपसे पुनः निवेदन है कि आप नियमों का स्वयं पूर्ण अवलोकन करके इसके अनुसार ही सम्बन्धित मामलों में कार्यवाही करें।

ऐसा भी देखने में आया है कि कुछ शाला प्रधान नियमों की पूर्ण जानकारी रखते हुए भी उनके अभिभावकों को नियम के विरुद्ध कार्यवाही सीधे ही बोर्ड कार्यालय से कराने का परामर्श देते हैं, फलस्वरूप वे व्यक्तिशः कार्यालय में उपस्थित होते हैं जब उन्हें सही स्थिति से अवगत कराया जाता है, तो उन्हें बड़ी निराशा होती है तथा उनका यात्रा व्यय एवं समय नष्ट हो जाता है, जिसके लिए वे शाला प्रधान एवं बोर्ड को समान रूप से दोषी समझते हैं। अतः भविष्य में छात्रों एवं अभिभावकों को गलत परामर्श न देकर सही मार्गदर्शन देने का श्रम करें। नियम के विरुद्ध अनुज्ञा प्रदान करना बोर्ड के लिए किसी भी दशा में सम्भव नहीं है।

कतिपय शाला प्रधान छात्रों के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक परीक्षा के परीक्षार्थ आवेदन पत्रों को अग्रेषित करते समय उनमें अंकित प्रविष्टियों की शाला अभिलेखों से पूर्णतया जांच नहीं करते हैं, जिसके कारण जन्मतिथि, छात्रों एवं पिता/माता के उपनाम आदि में संशोधन के मामले काफी संख्या में प्राप्त होते रहते हैं। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न न हो इसे दृष्टिगत रखते हुए निवेदन है कि छात्रों के परीक्षार्थ आवेदन पत्र कार्यालय में प्रेषित करने से पूर्व उनमें अंकित सभी प्रविष्टियों की शाला अभिलेखों से भली—भाँति जांच कर लें जिससे आपको बाद में पत्र—व्यवहार न करना पड़े और बोर्ड को भी कठिनाई न हो।

बोर्ड के कार्य क्षेत्र से बाहर अर्थात् अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय से प्रवर्जित छात्रों को राजस्थान बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 11/12 में प्रवेश लेने से पूर्व बोर्ड कार्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक नहीं है, अतः इस हेतु बोर्ड कार्यालय में आवेदन नहीं किया जाए—

- (i) माध्यमिक परीक्षा की किसी भी श्रेणी यथा सम्पूर्ण विषय, अतिरिक्त विषय आदि की परीक्षा हेतु कोई पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।
  - (ii) जिन छात्रों ने माध्यमिक परीक्षा इस बोर्ड से उत्तीर्ण की हो और ऐसे छात्र कक्षा XI अथवा कक्षा XII में अन्य बोर्ड से अध्ययन कर पुनः इस बोर्ड की परीक्षा कक्षा XI अथवा कक्षा XII में प्रवेश लेते हैं तो बोर्ड के कार्यालय आदेश क्रमांक परीक्षा/2010/सैल 8/716 दिनांक 07-07-10 पात्रता प्रमाण पत्र लेना आवश्यक नहीं है।
  - (iii) स्पष्ट नियमों/निर्देशों के उपरान्त भी बोर्ड कार्य क्षेत्र से बाहर के ऐसे छात्रों को जिन्होंने माध्यमिक परीक्षा के समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर न केवल कक्षा 10 की गृह परीक्षा ही उत्तीर्ण की थी, उन्हें शाला प्रधान कक्षा 11 में बोर्ड से अनुज्ञा प्राप्त किये बिना ही प्रवेश दे देते हैं, जो नियम के विरुद्ध है। इसके फलस्वरूप छात्रों को हानि तथा कार्यालय को विषम परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। अतः ऐसी परिस्थिति उत्पन्न न हो, इसे दृष्टिगत रखते हुए स्पष्ट किया जाता है कि इस बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विभिन्न बोर्ड/विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित सैकण्डरी स्कूल अथवा इसके समकक्ष परीक्षा (10+2) के अन्तर्गत इस अनुदेशिका के अनु. 1.7 (ब) व (य) के आधार पर ही कक्षा-11 या 12 में प्रवेश योग्य होंगे। बोर्ड कार्यालय को परीक्षार्थी आवेदन पत्र भेजते समय भी पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक रूप से लगाएं।
  - (iv) अनु. 1.7 (ब) के अनुसार निर्धारित आवश्यक न्यूनतम पांच विषयों में 33 प्रतिशत से कम अंक से सैकण्डरी/समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण अथवा अन्य बोर्ड एवं विश्वविद्यालय द्वारा त्रिवर्षीय/द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में संचालित हॉयर सैकण्डरी की परीक्षा में अनुत्तीर्ण अथवा अध्ययनरत छात्रों को कक्षा 11 में प्रवेश किसी भी परिस्थिति में नहीं दिया जावें और न ही ऐसे मामले इस कार्यालय की स्थीकृति हेतु अग्रेषित किये जायें क्योंकि बोर्ड नियमानुसारतदर्थ अनुज्ञा देय नहीं है।
  - (v) अन्य बोर्ड से कक्षा 11 की गृह परीक्षा उत्तीर्ण छात्र यदि इस बोर्ड की उच्च माध्यमिक परीक्षा कक्षा 12 में प्रवेश लेने आये तो उनको सम्बन्धित बोर्ड/विश्वविद्यालय की कक्षा-10 परीक्षा उत्तीर्ण होने के साथ-साथ कक्षा 11 की गृह परीक्षा में उस बोर्ड द्वारा निर्धारित विषयों में उत्तीर्ण घोषित होना चाहिये।
- (देखें अनु. 1.7 ब) ।

ऐसे परीक्षार्थियों को पात्रता प्रमाण-पत्र लेना आवश्यक होगा।

कृपया अनुदेशों का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर तदनुसार सम्बन्धित मामलों में उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें। स्पष्ट नियम निर्देश दिये जाने पर भी यदि आपको किसी प्रकार की शंका हो तो इस कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर समाधान कर सकते हैं। यह संक्षिप्त विवरण है, विस्तृत जानकारी के लिए आगे अनुदेशिका का अध्ययन करें। कृपया बोर्ड विवरणिका तथा बोर्ड निर्देश पुस्तिका का भी अवलोकन करें।

**विशेष – शाला में प्रवेश से पूर्व पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।**

कार्यालय आदेश क्रमांक परीक्षा-I / सैल-8 / 729 दिनांक 29-08-2011 बोर्ड अधिवेशन दिनांक 08-06-2011 के निर्णयानुसार परीक्षा समिति के प्रस्ताव संख्या-10 में निर्णित प्रस्ताव पर माननीय अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति के अनुपालन में वर्ष 2012 की परीक्षा से पूरक परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी को दी जाने वाली अंकतालिका में मुख्य परीक्षा में अर्जित किये गये अंकों के साथ, पूरक परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णक अंकित कर श्रेणी देते हुए नई अंकतालिका जारी कर दी जावेगी।

कार्यालय आदेश क्रमांक परीक्षा / 2010 / सैल-8 / 716 दिनांक 07-07-10 परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 13-05-10 के प्रस्ताव संख्या-1,2,3 एवं 6 की अनुशंसा पर बोर्ड बैठक दिनांक 10-06-10 की स्वीकृति अनुसार बोर्ड द्वारा आयोजित वर्ष 2011 की परीक्षा से नियमों में निम्नानुसार संशोधन / प्रावधान किये गये हैं।

1. जो विद्यार्थी कक्षा-9 अनुत्तीर्ण हो एवं माध्यमिक परीक्षा में स्वयंपाठी परीक्षार्थी के रूप में प्रविष्ट होकर अनुत्तीर्ण रहा है, उसे कक्षा-10 में नियमित प्रवेश दिया जा सकेगा।
2. कक्षा-9 से 12 तक नियमों में पुनः प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा में बन्धन को समाप्त कर दिया गया है।
3. नियमित परीक्षार्थियों को परीक्षा में प्रविष्ट होने हेतु उपस्थिति में शाला प्रधान को प्रदत्त छूट 15 मीटिंग से बढ़ाकर 25 मीटिंग कर दी गई है। इसके अतिरिक्त अब कोई छूट बोर्ड स्तर पर नहीं दी जावेगी। शाला प्रधान कुल 25 मीटिंग तक की छूट अपने स्तर पर देकर इसकी पुष्टि बोर्ड से करायेगे।
4. विमंदित (learning disability) परीक्षार्थियों को राजकीय मेडिकल कॉलेज स्तरीय चिकित्सालय में गठित मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर परीक्षा हेतु अतिरिक्त समय / श्रुत लेखक दिया जाएगा।

## माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

1. मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश सम्बन्धी अनुदेश :-

बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय अथवा जिनकी मान्यता बोर्ड द्वारा विचाराधीन है, की कक्षा – 9, 10, 11 व 12 में प्रवेश देने से पूर्व शाला प्रधान निम्नांकित बिन्दुओं को दृष्टिगत रखें :-

**\* 1.1 कक्षा-9 में प्रवेश :-** निम्नलिखित छात्र/छात्राओं को शाला की कक्षा-9 में प्रवेश दिया जा सकता है यदि उन्होंने –

(अ) इस बोर्ड के क्षेत्राधिकार में मान्यता प्राप्त विद्यालयों में पढ़कर कक्षा-8 उत्तीर्ण कर ली हो अथवा कक्षा-9 में अनुत्तीर्ण रहे हो अथवा कक्षा-9 में अध्ययनरत स्थानान्तरित विद्यार्थी हो।

(ब) अन्य बोर्ड द्वारा माध्यमिक के समकक्ष 10 वर्षीय पाठ्यक्रम में संचालित परीक्षा की कक्षा- 8 उत्तीर्ण कर ली हो अथवा इस बोर्ड के क्षेत्राधिकार में मान्यता प्राप्त विद्यालयों में पढ़कर कक्षा-8 उत्तीर्ण कर ली हो अथवा कक्षा-9 में अनुत्तीर्ण रहे हो अथवा कक्षा-9 में अध्ययनरत प्रवर्जित विद्यार्थी हो।

**\* 1.2 कक्षा-10 माध्यमिक/प्रवेशिका में प्रवेश :-** निम्नलिखित छात्र/छात्राओं को शाला की कक्षा-10 में प्रवेश दिया जा सकता है यदि उन्होंने –

(अ) इस बोर्ड के क्षेत्राधिकार में मान्यता प्राप्त विद्यालयों में पढ़कर कक्षा-9 उत्तीर्ण कर ली हो अथवा बोर्ड माध्यमिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे हो अथवा कक्षा-10 में अध्ययनरत स्थानान्तरित विद्यार्थी हो।

(ब) प्रवेशिका परीक्षा में वे ही नियमित परीक्षार्थी प्रवेश योग्य होगे, जिसने कक्षा-9 की परीक्षा उत्तीर्ण की है।

(स) अन्य बोर्ड द्वारा माध्यमिक के समकक्ष 10 वर्षीय पाठ्यक्रम में संचालित परीक्षा की कक्षा- 9 उत्तीर्ण कर ली हो अथवा उस बोर्ड की माध्यमिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे हो अथवा कक्षा-10 में अध्ययनरत प्रवर्जित विद्यार्थी हो।

(द) माध्यमिक परीक्षा में नियमित रूप से प्रविष्ट हो, अनुत्तीर्ण रहने के पश्चात अध्ययन छोड़ दिया हो अथवा जिन्हें बोर्ड ने किन्हीं कारणों से वंचित कर दिया हो और यदि वे विवर्जित अवधि के पश्चात कक्षा-10 में पुनः प्रवेश लेना चाहे।

(य) स्वयंपाठी अभ्यर्थी के रूप में पूर्व वर्षों में इस बोर्ड की माध्यमिक परीक्षा में अधिक से अधिक दो विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हो और इन विषयों में कम से कम 25 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हो तथा कुल प्राप्तांकों का योग 30 प्रतिशत या इससे अधिक हो।

**\* 1.3 उच्च माध्यमिक की कक्षा-11 में प्रवेश :-** निम्नलिखित छात्र/छात्राओं को को उस वर्ग और विषयों में प्रवेश दिया जा सकता है, जिनमें शाला मान्यता प्राप्त हो और जिन्होंने –

(अ) नियमित अथवा स्वयंपाठी रूप से इस बोर्ड की माध्यमिक परीक्षा, माध्यमिक पूरक परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(ब) इस बोर्ड की प्रवेशिका परीक्षा अंग्रेजी विषय सहित उत्तीर्ण की हो।

(स) अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय की माध्यमिक अथवा समान स्तर की मान्य परीक्षा अनु-  
1.7 (ब) के अनुरूप उत्तीर्ण की हो और पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया हो।

**नोट:** (1) अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालयों से माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को कक्षा-11 में प्रवेश देने से पूर्व बोर्ड कार्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त करने हेतु निर्देशित करें। आवेदन पत्र तब ही अग्रेषित करें जब शाला प्रधान अपने स्तर पर पात्रता के लिए पूर्णतया संतुष्ट हो। बिना पात्रता प्रमाण पत्र के प्रवेश नहीं दिया जाए।

(2) निम्नांकित छात्र/छात्राएं कक्षा-11 के प्रवेश योग्य नहीं हैं –

(अ) हायर सैकण्डरी परीक्षा द्विवर्षीय/त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम अनुत्तीर्ण।

(ब) कक्षा-10 की गृह परीक्षा उत्तीर्ण।

(स) संस्कृत परीक्षा उत्तीर्ण जिनके आधार पर केवल वरिष्ठ उपाध्याय की कक्षा-11 में प्रवेश दिया जा सकता है।

(3) (अ) हायर सैकण्डरी परीक्षा द्विवर्षीय/त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम अनुत्तीर्ण अथवा अंतिम वर्ष में अध्ययनरत प्रवर्जित छात्र/छात्राएं सम्पूर्ण विषयों में बोर्ड की माध्यमिक परीक्षा में प्रविष्ट हो सकते हैं।

(ब) ऐसे योग्य छात्र/छात्राएं जो विदेश के हो और जिन्होंने पब्लिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए शिक्षण संस्था की कक्षा-10 परीक्षा ही उत्तीर्ण की हो, वे बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा-11 में प्रवेश लेना चाहे तो इन मामलों को बोर्ड के निर्णयार्थ प्रेषित किया जाए।

\* **1.4 उच्च माध्यमिक की कक्षा-12 में प्रवेश :-** निम्नलिखित छात्र/छात्राओं को शाला में उस वर्ग और विषयों में प्रवेश दिया जा सकता है, जिसमें शाला मान्यता प्राप्त हो और जिन्होंने –

(अ) इस बोर्ड की माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण कर मान्यता प्राप्त विद्यालय से कक्षा-11 उत्तीर्ण कर ली हो।

(ब) अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय की माध्यमिक अथवा समान स्तर की मान्य परीक्षा उत्तीर्ण कर बोर्ड की मान्यता प्राप्त संस्थाओं में बोर्ड द्वारा जारी पात्रता प्रमाण पत्र के आधार पर प्रवेश लेकर कक्षा-11 उत्तीर्ण की हो।

(स) अन्य बोर्ड के क्षेत्राधिकार में विद्यालय से कक्षा-11 की गृह परीक्षा उस बोर्ड द्वारा निर्धारित विषयों में उत्तीर्ण की हो और विद्यार्थी माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करके इस बोर्ड के क्षेत्राधिकार में कक्षा-11 में प्रवेश की पात्रता रखता हो।

(द) बोर्ड की मान्यता प्राप्त संस्थाओं में कक्षा-11 में प्रवेश पात्रता होते हुए भी अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालयों के क्षेत्राधिकार में 10+2 योजनान्तर्गत विद्यालय से कक्षा-11 उत्तीर्ण की हो **किन्तु ऐसे विद्यार्थियों को बोर्ड कार्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र लेना होगा।**

**नोट :** 1. जो विद्यार्थी बोर्ड के मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा-11 में प्रवेश योग्य नहीं है वे कक्षा-12 में भी प्रवेश योग्य नहीं होंगे।

2. कार्यालय आदेश क्रमांक परीक्षा-I/सैल-8/731 दिनांक 29-08-11 अनुसार वर्ष 2012 की परीक्षाओं में कक्षा-9 में उत्तीर्ण छात्र प्रवेशिका परीक्षा में एवं कक्षा-11 में

उत्तीर्ण छात्र वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में प्रवेश योग्य माना जावेगा। इसी प्रकार प्रवेशिका कक्षा—9 में उत्तीर्ण माध्यमिक परीक्षा एवं वरिष्ठ उपाध्याय कक्षा—11 उत्तीर्ण छात्र उच्च माध्यमिक परीक्षा के योग्य माना जावेगा।

**\* 1.5 वरिष्ठ उपाध्याय की कक्षा—11 में प्रवेश :—** निम्नलिखित छात्र/छात्राओं को शाला में उस वर्ग और विषयों में प्रवेश दिया जा सकता है, जिसमें शाला मान्यता प्राप्त हो और जिन्होंने —

- (अ) बोर्ड की प्रवेशिका परीक्षा अंग्रेजी सहित उत्तीर्ण कर ली हो।
- (ब) उच्च माध्यमिक की कक्षा—11 में प्रवेश की पात्रता रखते हो।
- (स) निम्नलिखित में से कोई परीक्षा अंग्रेजी विषय सहित, प्रत्येक विषय में न्यूनतम 33 प्रतिशत प्राप्तांकों सहित उत्तीर्ण हो।
  - सम्पूर्णनन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी की पूर्व मध्यमा परीक्षा।
  - बिहार संस्कृत समिति पटना/संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा की पूर्व मध्यमा परीक्षा।
  - राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली की पूर्व मध्यमा परीक्षा।
  - हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ की प्रवेशिका परीक्षा।
  - विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय/बोर्ड की 10 वर्षीय पाठ्यक्रम परीक्षा
- (संस्कृत अनिवार्य/वैकल्पिक विषय सहित)।
- पंजाब विश्वविद्यालय की प्राज्ञ परीक्षा।

**नोट :**(1) उच्च माध्यमिक परीक्षा की कक्षा—11 में प्रवेश हेतु जो शर्तें हैं वही वरिष्ठ उपाध्याय की कक्षा—11 में प्रवेश के लिए मान्य होगी।

(2) उपरोक्त बिन्दु 'स' में अंकित संस्थाओं की परीक्षाओं को उच्च माध्यमिक परीक्षा में प्रवेश हेतु माध्यमिक परीक्षा के समकक्ष नहीं माना गया है।

**\* 1.6 वरिष्ठ उपाध्याय की कक्षा—12 में प्रवेश :—** निम्नलिखित छात्र/छात्राओं को शाला में उन वर्ग विषयों में प्रवेश दिया जा सकता है, जिनमें शाला मान्यता प्राप्त हो और जिन्होंने नियमित अथवा स्वयंपाठी रूप से इस बोर्ड की माध्यमिक परीक्षा, माध्यमिक पूरक परीक्षा उत्तीर्ण की है।

(अ) बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कक्षा—11 की संस्कृत विषय सहित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो।

(ब) वरिष्ठ उपाध्याय की कक्षा—11 में प्रवेश की पात्रता होते हुए भी अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय के कार्य क्षेत्र में विद्यालयों के वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालय अथवा समान स्तर के विद्यालय से 10+2 योजनान्तर्गत कक्षा—11 उत्तीर्ण की हो। ऐसे विद्यार्थियों को बोर्ड कार्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

(स) अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालयों की माध्यमिक परीक्षा/प्रवेशिका अथवा समान स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण कर बोर्ड की मान्यता प्राप्त वरिष्ठ उपाध्याय संस्था में बोर्ड द्वारा जारी पात्रता प्रमाण पत्र के आधार पर प्रवेश लेकर कक्षा—11 उत्तीर्ण की हो।

**नोट :** जो विद्यार्थी बोर्ड के मान्यता प्राप्त वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालयों में कक्षा—11 में प्रवेश योग्य नहीं हैं वे कक्षा—12 में भी प्रवेश योग्य नहीं होंगे।

\* 1.7 पात्रता प्रमाण पत्र :-

**(अ) अनिवार्यता:-** बोर्ड के कार्य क्षेत्र से बाहर अर्थात् अन्य बोर्ड/ विश्वविद्यालयों से प्रवर्जित छात्रों को राजस्थान बोर्ड के मान्यता प्राप्त विद्यालयों की कक्षा 11 व 12 में प्रवेश लेने से पूर्व अथवा बोर्ड की उच्च माध्यमिक परीक्षा में स्वयंपाठी परीक्षार्थी के रूप में आवेदन करने से पूर्व बोर्ड कार्यालय से पात्रता प्रमाण करना आवश्यक है। पात्रता प्रमाण पत्र के अभाव में प्रवेश नहीं दिया जायेगा और बोर्ड की उच्च माध्यमिक परीक्षा में प्रवेशाज्ञा नहीं दी जायेगी।

**विशेष :-** यदि कोई शाला प्रधान बिना पात्रता प्रमाण पत्र के प्रवेश देता है या स्वयंपाठी परीक्षार्थी का आवेदन पत्र बिना पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त किये अग्रेषित करता है तो नियमानुसार परीक्षार्थी का आवेदन पत्र निरस्त होने पर समस्त प्रकार की जिम्मेदारी शाला प्रधान की होगी।

**(ब) पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने का आधार -** अन्य बोर्ड/ विश्वविद्यालयों से प्रवर्जित छात्रों को राजस्थान बोर्ड के मान्यता प्राप्त विद्यालयों की कक्षा 11 व 12 में प्रवेश हेतु पात्रता प्रमाण पत्र निम्नानुसार आधार पर जारी किया जा सकता है :-

**(i)** संबंधित बोर्ड से उस बोर्ड की योजनानुसार उत्तीर्ण घोषित होना अनिवार्य है।

**(ii)** संबंधित बोर्ड की माध्यमिक परीक्षा में न्यूनतम पांच विषयों में प्रत्येक में 33 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हो।

**(iii)** यदि कक्षा-12 में प्रवेश वांछित है तो उपरोक्त बिन्दु (ii) के साथ-साथ कक्षा-11 में उस बोर्ड द्वारा निर्धारित विषयों के साथ उत्तीर्ण घोषित किया गया हो।

**(iv)** यदि अभ्यर्थी के किसी विषय/विषयों में 33 प्रतिशत से कम प्राप्तांक है और फिर भी वह उत्तीर्ण घोषित किया गया है तो उसको कुल निर्धारित पूर्णांकों के लिए एक प्रतिशत सानुग्रह अंक के रूप में एक या अधिक विषयों की कमी को पूर्ण करने हेतु देय होंगे। इसके आधार पर पात्रता की जांच होगी। सानुग्रह अंक कुल विषयों के लिए निर्धारित पूर्णांक के आधार पर एक प्रतिशत से अधिक किसी भी परिस्थिति में देय नहीं होंगे। यदि संबंधित अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय से सानुग्रह अंकों का लाभ पहले से ही छात्र को दे रखा है, तब भी यह देखा जायेगा कि इस बोर्ड के एक प्रतिशत सानुग्रह अंक देने से उपर्युक्त वर्णित नियमानुसार छात्र को कुल सानुग्रह अंक का लाभ मिल चुका है अथवा नहीं। यदि नहीं तो सानुग्रह अंकों का लाभ ऐसे सभी मामलों में इस बोर्ड के नियमानुसार छात्र की प्रवेश पात्रता देखने हेतु देय होगा। सानुग्रह अंक प्रदान करने का यह नियम सभी बोर्ड/विश्वविद्यालय के मामलों में लागू माना जायेगा। चाहे वहां सानुग्रह अंक प्रदान करने का नियम हो अथवा नहीं किन्तु पूरक परीक्षा से उत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश की पात्रता जांचने हेतु सानुग्रह अंकों का लाभ देय नहीं होगा।

**(स) पात्रता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करने की विधि :-** शाला में प्रवेश लेने से पूर्व छात्र/छात्राओं को निम्नानुसार कार्यवाही करनी/करानी चाहिये –

**(i)** शाला प्रधान को आवेदन पत्र के साथ अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय की कक्षा-10

\* बोर्ड के कार्यालय आदेश क्रमांक परीक्षा/2010/सैल 8/716 दिनांक 07-07-10 द्वारा आयु सीमा का प्रावधान विलोपित कर दिया गया है।

माध्यमिक स्तर की उत्तीर्ण मूल अंकतालिका, प्रवर्जन प्रमाण पत्र अथवा स्थानांतरण प्रमाण पत्र जो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हो, प्रस्तुत करनी चाहिए। यदि कक्षा-12 में नियमित प्रवेश चाहिए तो कक्षा-11 की गृह परीक्षा उत्तीर्ण की मूल अंकतालिका भी प्रस्तुत करें।

**(ii)** शाला प्रधान पात्रता प्रमाण पत्र के लिये आवेदन पत्र अग्रेषित करने से पूर्व अनुदेशिका के अनु. 1.7 (ब) में उल्लेखित नियमों के अन्तर्गत संतुष्ट हो लें कि विद्यार्थी वास्तव में प्रवेश के लिए पात्र है। पात्र होने की स्थिति में अपनी अनुशंसा सहित अग्रेषित करें।

**(iii)** अग्रेषित आवेदन पत्र के साथ बिन्दु (i) में वर्णित मूल प्रलेख और निर्देशानुसार निर्धारित शुल्क का सचिव मा.शि.बोर्ड के नाम कास भारतीय पोस्टल आर्डर/बैंक ड्राफ्ट भेजें अथवा बोर्ड कार्यालय के काउंटर पर नकद जमा की रसीद संलग्न करें।

**(द) निम्नांकित को पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं :-** निम्नांकित अभ्यर्थी पात्रता प्रमाण पत्र हेतु बोर्ड कार्यालय में आवेदन नहीं करें क्योंकि उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है –

**(i)** जो माध्यमिक परीक्षा हेतु कक्षा-9 या 10 में प्रवेश चाहते हैं।

**(ii)** माध्यमिक परीक्षा के अतिरिक्त विषय की परीक्षा (श्रेणी 4) में सम्मिलित होना चाहते हैं।

**(iii)** इस बोर्ड की माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी अन्य बोर्ड की कक्षा-11 अथवा 12 में अध्ययन कर पुनः राजस्थान बोर्ड के मान्यता प्राप्त विद्यालयों में क्रमशः कक्षा-11 अथवा 12 में प्रवेश चाहते हैं।

**(य) पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु अंतिम तिथियां :-**

**(i)** बिना विलम्ब शुल्क-माह अगस्त/सितम्बर (प्रतिवर्ष पृथक से घोषित)

**(ii)** विलम्ब शुल्क- 100 रुपये के साथ 30 नवम्बर तक।

**नोट :** (i) यदि किसी शाला प्रधान ने नियमानुसार पात्रता प्रमाण पत्र हेतु मामला प्रेषित नहीं किया और छात्र/छात्रा को प्रवेश दे दिया तो उनके एवं शाला के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने के लिए बोर्ड को बाध्य होना पड़ेगा तथा इसके लिए न्यायालय प्रकरण अथवा अन्य क्षति के लिए शाला प्रधान पूर्णरूपेण जिम्मेदार होंगे।

(ii) बोर्ड के कार्यक्षेत्र के बाहर से प्रवर्जित छात्रों के प्रवेश संबंधी स्वीकृति अर्थात् पात्रता प्रमाण पत्र छात्रों के परीक्षार्थ आवेदन पत्रों के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी शाला प्रधान/अग्रेषण अधिकारी की होगी।

\* **1.8 अन्य विद्यालयों से स्थानांतरित विद्यार्थियों के स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) आदि प्रलेखों की जांच :-** फर्जी स्थानांतरण प्रमाण पत्र की रोकथाम के लिये निम्नानुसार कार्यवाही अपेक्षित है –

**(1)** बोर्ड के कार्यक्षेत्र के विद्यालय से स्थानांतरित विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) एवं मूल अंकतालिका, उन्हें जारी करने वाले पूर्व शाला प्रधान को भेजकर, उनसे भलीभांति सत्यापन कराने के बाद ही, उन्हें संबंधित कक्षा में स्थाई प्रवेशाज्ञा प्रदान की जाये।

**(2)** जिन परीक्षार्थियों के प्रमाण-पत्र एवं मूल अंकतालिका प्रान्तीय भाषा में हैं, वे विद्यार्थी अपने प्रमाण पत्र एवं मूल अंकतालिका अंग्रेजी भाषा में संबंधित बोर्ड से सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत करें। ऐसे प्रपत्रों पर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर होने चाहिए।

**2. अध्ययन विद्यार्थी को विषय/वर्ग परिवर्तन में छूट :-**

(1) कक्षा-11 में अध्ययन कर रहे छात्र-छात्राएं यदि विषय/वर्ग परिवर्तन करना चाहें तो यह अनुज्ञा उस सत्र में कभी भी प्रदान की जा सकती है, जिसकी अनुज्ञा शाला प्रधान स्वयं दे सकेंगे।

(2) कक्षा-11 परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद यदि छात्र/छात्रा, विषय/वर्ग परिवर्तन करना चाहें और विद्यालय विद्यार्थी के स्तर को देखते हुए बोर्ड को परीक्षार्थी आवेदन पत्र भेजने से पूर्व अनुमति देना चाहे तो बोर्ड कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

(3) उपरोक्तानुसार कक्षा-9 व 10 में भी छात्र/छात्राओं को तृतीय भाषा विषय में परिवर्तन की अनुमति शाला प्रदान अपने स्तर पर दे सकते हैं।

(4) उच्च माध्यमिक (व्यावसायिक) योजना के अन्तर्गत कक्षा-11 उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उच्च माध्यमिक योजना में कक्षा-12 में प्रवेश दिया जा सकता है।

(5) माध्यमिक/उच्च माध्यमिक/प्रवेशिका/वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षाओं हेतु आवेदन पत्र बोर्ड कार्यालय में प्राप्त होने के बाद यदि स्वयंपाठी छात्र विषय परिवर्तन करना चाहे तो ऐसे प्रार्थना पत्र संबंधित अग्रेषित अधिकारी के मार्फत मय तथ्यात्मक प्रलेखों के एक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क सहित बोर्ड कार्यालय को 30 नवम्बर तक भेज सकते हैं। उपरोक्त तिथि के पश्चात प्राप्त ऐसे आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। एक से अधिक विषय अथवा पूरे वर्ग परिवर्तन के लिए प्रति विषय रूपये 25/- अतिरिक्त देने होंगे।

**3. नियमित छात्रों को स्व अध्ययन की अनुमति :-**

सामान्यतः विद्यालयों में उन्हीं विषयों के अध्ययन की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है, जिन विषयों के अध्यापन हेतु विद्यालय मान्यता प्राप्त है, किन्तु निम्नानुसार एक विषय में स्व-अध्ययन की अनुमति दी जा सकती है।

(1) माध्यमिक स्तर पर नियमित विद्यार्थियों को तृतीय भाषा के रूप में स्वीकृत विषयों में से कोई विषय, यदि वह विषय अध्ययनरत विद्यालय में नहीं पढ़ाया जा रहा है, चयन कर स्व-अध्ययन के आधार पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुज्ञा शाला प्रधान के स्तर पर दी जा सकती है। इस हेतु जारी आदेश की प्रति तुरन्त इस कार्यालय की गोपनीय शाखा को भेज देवें।

(2) बोर्ड की उच्च माध्यमिक परीक्षा के नियमित विद्यार्थियों को भी अधिकतम एक विषय में स्व-अध्ययन की अनुमति दी जा सकती है शाला प्रधान इसकी पुष्टि बोर्ड से करायेंगे किन्तु प्रायोगिक परीक्षा वाले केवल निम्न विषयों में स्व-अध्ययन की अनुमति दी जा सकेगी।

(अ) जिन विषयों में प्रायोगिक कार्य निहित है, उन विषयों में सामान्यतः स्व-अध्ययन की अनुमति नहीं दी जायेगी किन्तु निम्नांकित विषयों में प्रायोगिक कार्य निश्चित होने पर भी स्व-अध्ययन करने की अनुज्ञा उपरोक्तानुसार प्रदान की जा सकती है।

1. संगीत (कला वर्ग)
2. गृह विज्ञान (कला वर्ग)
3. टंकण लिपि (वाणिज्य वर्ग)

(ब) कक्षा-12 में कम्प्यूटर विज्ञान विषय में स्व-अध्ययन की अनुमति शाला प्रधान की अनुशंसा पर बोर्ड द्वारा दी जा सकती है। उपरोक्त छात्रों के अन्य विद्यालय से प्रायोगिक कार्य

पूर्ण करने का प्रमाण पत्र प्रायोगिक परीक्षा के समय परीक्षक/ शाला प्रधान को प्रस्तुत करना होगा।

(3) एक विषय में स्व-अध्ययन छात्र/छात्राओं को उस विषय में सत्रांक अनुपातिक रूप में स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के समान दिये जायेंगे।

(4) प्रवेशिका/वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा के छात्र/छात्राओं को भी स्व-अध्ययन की अनुज्ञा उपरोक्तानुसार देय है।

#### **4. नियमित परीक्षार्थियों की कक्षाओं में उपस्थिति :-**

बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार प्रत्येक परीक्षार्थी को विद्यालय सत्र में आयोजित कुल कक्षा पारियों में से न्यूनतम 75 प्रतिशत मीटिंग में उपस्थित रहना आवश्यक है। विद्यालय कार्य दिवय में सामान्यतः दो मीटिंग मध्यान्तर से पूर्व और पश्चात आयोजित होती हैं। विद्यालयों में कक्षा-10 व कक्षा-12 जिसमें उपस्थिति के आधार पर बोर्ड परीक्षा में प्रवेशाज्ञा दी जाती है, शिक्षण सत्र में मीटिंग की गणना निम्नानुसार की जाये—

(1) सत्र में 8 जुलाई से बोर्ड द्वारा घोषित परीक्षा तिथि से 30 दिन पूर्व तक जितनी संख्या में कक्षा मीटिंग आयोजित हो, उनके आधार पर 75 प्रतिशत की गणना कर उपस्थिति निर्धारित की जाये। यदि किन्हीं कारणों से बोर्ड परीक्षा स्थगित होती है, फिर भी बोर्ड द्वारा निर्धारित पूर्व तिथि के आधार पर गणना की जायेगी।

(2) किन्हीं कारणों से बोर्ड परीक्षा परिणाम यदि शिक्षण सत्र प्रारम्भ होने के बाद घोषित हो, अथवा पूरक परीक्षा विशेष पूरक परीक्षा या किन्हीं अन्य कारणों से परिणाम बाद में घोषित किया जाये अथवा किन्हीं कारणों से परिवर्तित हो जाए तो ऐसे परीक्षार्थी परीक्षा परिणाम के आधार पर कक्षा में परिणाम घोषित होने की तिथि से 10 दिवस के भीतर प्रवेश ले सकते हैं। ऐसे मामलों में उपस्थिति की गणना प्रवेश के दिन से बोर्ड द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम, परिवर्तित परिणाम तिथि 10 दिवस बाद जो भी पहले हो से की जाये।

(3) यदि विद्यार्थी शिक्षण सत्र के मध्य मान्यता प्राप्त संस्था से स्थानांतरण वश किसी अन्य विद्यालय में प्रवेश ले तो उसकी उपस्थिति की गणना करते समय पूर्व विद्यालय की उपस्थिति मंगवाकर जोड़ ली जाये।

(4) बोर्ड के कार्यक्षेत्र के बाहर अर्थात् अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय से प्रवर्जित विद्यार्थियों के प्रवेश सम्बन्धी मामलों में उनकी उपस्थिति की गणना बोर्ड के नियमानुसार की जायेगी ना कि उनकी प्रवेश तिथि से। किन्तु यदि किन्हीं छात्रों ने अन्य बोर्ड की मान्यता प्राप्त संस्था में पूर्व प्रवेश ले रखा हो और बाद में स्थानांतरण वश बोर्ड की मान्यता प्राप्त शाला में प्रवेश ले तो उनकी उपस्थिति की गणना करते समय पूर्व विद्यालय से उपस्थिति मंगवाकर जोड़ ली जाये।

(5) स्थानांतरित अथवा प्रवर्जित विद्यार्थियों को प्रवेश देने के पूर्व ही उपस्थिति के नियम से अवगत करा दिया जाए और यदि उनकी उपस्थिति न्यून होने की संभावना हो तो उन्हें प्रवेश ही न दें।

#### **5. परीक्षार्थी के नाम, पिता अथवा माता के नाम एवं जन्मतिथि के संशोधन के सम्बन्ध में :-**

1. परीक्षार्थी जिस परीक्षा में सम्मिलित हो रहा है, यदि उससे सम्बन्धित कम्प्टरीकृत प्रवेश परीक्षा में छात्र के नाम, पिता अथवा माता के नाम अथवा जन्मतिथि में परीक्षा आवेदन पत्र से भिन्न मुद्रित हुई हो तो सम्बन्धित शाला प्रधान द्वारा संशोधन हेतु सूचित किया जाए।

\* बोर्ड के कार्यालय आदेश क्रमांक परीक्षा/2010/सैल 8/716 दिनांक 07-07-10 द्वारा आयु सीमा का प्रावधान विलोपित कर दिया गया है।

यदि अंकतालिका / प्रमाण पत्र या अंकतालिका सहित प्रमाण पत्र में छात्र के नाम, पिता अथवा माता के नाम अथवा जन्मतिथि में परीक्षा आवेदन पत्र से भिन्न मुद्रित हुई हो तो जारी करने से पूर्व जांच की जाकर पृष्ठांकन किया जायेगा। यह कार्यवाही परीक्षा वर्ष में 30 नवम्बर तक आवश्यक कर लेनी चाहिये।

**2.** बोर्ड की विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले छात्रों की जन्मतिथि, छात्र के नाम, उपनाम अथवा पिता के नाम, माता के नाम/उपनाम आदि में संशोधन के सम्बन्धित वर्ष के परीक्षा परिणाम घोषणा की तिथि से 2 वर्ष की अवधि तक संशोधन स्वीकार किये जायेगे। इसके बाद के प्रकरणों पर विचार नहीं किया जायेगा।

**3.** परीक्षार्थी के नाम में पिता के नाम/माता के नाम/उपनाम की वर्तनी अशुद्धि के लिये 2 वर्ष की सीमा लागू नहीं होगी। इसी प्रकार बोर्ड की विभिन्न परीक्षाओं के प्रलेखों में भी अन्तर है तो संशोधन हेतु 2 वर्ष की सीमा लागू नहीं होगी। छात्र/छात्रा यदि अपने स्वयं अथवा पिता/माता के नाम, उपनाम में वर्तनी अर्थात् स्पेलिंग अशुद्धि को सही करना चाहे तो सही स्पेलिंग अथवा वर्तनी की स्पेलिंग के सम्बंध में अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत करेगा अथवा प्रधानाध्यापक की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत प्रलेखों के आधार पर सहायक निदेशक स्तर से निस्तारण किया जा सकेगा।

**4.** अनुदेशिका 2007 का पैरा चार बोर्ड के आदेश क्रमांक 2010/2978 दिनांक 16-12-10 द्वारा विलोपित कर दिया गया है।

**5.** नियमानुसार कार्यालय अभिलेखों में जन्मतिथि, छात्र का नाम, पिता का नाम अथवा माता का नाम एक बार पंजीकृत हो जाने के पश्चात साधारणतः उसमें कोई भी संशोधन स्वीकार नहीं किया जाता है, परन्तु केवल ऐसे मामलों में ही जहां पूर्व शाला की टी.सी. व परीक्षार्थी आवेदन पत्र अंग्रेषित करने वाली शाला के प्रवेश प्रार्थना-पत्र में अन्तर हो अथवा प्रवेश प्रार्थना-पत्र से छात्र पत्रक में अथवा छात्र पत्रक से भेजे गये परीक्षार्थी आवेदन पत्र में विद्यालय द्वारा प्रविष्टियाँ करने में कोई अशुद्धि रह गई हो तो सम्बन्धित शाला के मूल रिकॉर्ड अथवा स्कॉलर रजिस्टर, प्रवेश प्रार्थना-पत्र व पूर्व शाला की टी.सी. मय फोटो प्रतियाँ के जो के शाला प्रधान द्वारा सत्यापित की गई हो के साथ जांच हेतु इस कार्यालय में भेजने पर ही जन्मतिथि, छात्र/छात्रा के नाम, पिता के नाम अथवा प्रविष्टियाँ में सुधार करने पर विचार किया जा सकता है, अन्य किसी भी दशा में नहीं। निर्धारित शुल्क जमा करवाने पर ही सुधार शाला अभिलेखों के आधार पर ही किया जा सकेगा। रिकॉर्ड की फोटो प्रतियां मान्य नहीं होगी। समय पर मूल रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं करने पर प्रकरण वापस लौटा दिया जायेगा तथा सम्पूर्ण रिकॉर्ड सहित 2 वर्ष की अवधि में प्राप्त नहीं होने पर आगे फिर विचार नहीं किया जायेगा।

#### **6. संशोधन हेतु शुल्क निम्नानुसार निर्धारित है :-**

1. छात्र/छात्रा का नाम	रु. 100/- न्यूनतम, तत्पश्चात् रु. 60/- प्रति वर्ष
2. जन्मतिथि में संशोधन	रु. 100/- न्यूनतम, तत्पश्चात् रु. 60/- प्रति वर्ष

**A.** विद्यार्थी द्वारा अपने नाम, पिता/माता के नाम के साथ हरिजन/गिरीजन लगे उपनाम को हटाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 16 अगस्त 1990 के अनुसार दो साल के प्रतिबंध में छूट देते हुये बिना शुल्क लिये ऐसे मामलों में हरिजन/गिरीजन उपनाम हटाया जा सकेगा।

यह संशोधन सहायक निदेशक स्तर से किया जा सकेगा।

**नोट :-** एक ही छात्र/छात्रा से सम्बन्धित अनेक संशोधन होने पर प्रत्येक संशोधन के लिए अलग-अलग शुल्क लिया जायेगा।

7. यदि कोई नियमित छात्र/छात्रा अपनी जन्मतिथि/नाम/पिता का नाम/माता का नाम/उपनाम में संशोधन के लिये सम्बन्धित जिला जिला शिक्षा अधिकारी को बोर्ड परीक्षा आवेदन पत्र भरने की बिना विलम्ब शुल्क की अन्तिम तिथि से पूर्व आवेदन कर दे और उनकी जन्मतिथि/नाम/पिता का नाम/माता का नाम/उपनाम में सुधार बोर्ड की विलम्ब शुल्क, दुगना विलम्ब शुल्क सहित आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि तक हो जावे तो उपरोक्त संशोधनार्थ उससे विलम्ब शुल्क अथवा दुगना विलम्ब शुल्क नहीं लिया जायेगा बशर्ते कि परीक्षार्थी ने आवेदन पत्र निर्धारित तिथियों में प्रस्तुत कर दिया हो। इसके पश्चात यदि असाधारण विलम्ब शुल्क से आवेदन भरने की अन्तिम तिथि तक संशोधन होता है तो रु. 1000/- (रुपये एक हजार मात्र) शुल्क के साथ संशोधन किया जा सकेगा किन्तु परीक्षार्थी आवेदन पत्र अग्रेषित करने की समस्त तिथियों से विगत होने के पश्चात जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा किसी प्रकार का संशोधन किया जाता है तो वह मान्य नहीं होगा।

8. यदि कोई छात्र परीक्षा में एक बार प्रविष्ट होने के उपरान्त किसी सम्बंधी के गोद जाता हैं, तो कार्यालय के अभिलेख में उसके पिता के नाम के स्थान पर गोद गये सम्बंधी का नाम शपथ पत्र अथवा अन्य किसी भी आधार पर नहीं बदला जायेगा।

9. नियमानुसार कार्यालय अभिलेखों में छात्र के नाम/उपनाम/पिता का नाम/उपनाम/माता का नाम/उपनाम तथा छात्र की जन्मतिथि एक बार पंजीकृत हो जाने के पश्चात शपथ पत्रादि/गजट में प्रकाशन कर देने के आधार पर संशोधन नहीं किया जायेगा।

10. शाला प्रधान छात्र/छात्राओं की जन्मतिथि प्रमाणित करते समय विशेष रूप से ध्यान रखें कि माह अप्रैल, जून, सितम्बर एवं नवम्बर में जो कि 30 दिन के होते हैं तथा फरवरी माह के अतिरिक्त शेष माह 31 दिन के होते हैं, फरवरी 28 दिन का ही होता है या लीप ईयर का माह फरवरी 29 दिन का होता है, 30 दिन फरवरी माह के नहीं होते, इसका भली प्रकार ध्यान रखें। कई छात्रों के आवेदन पत्रों में उक्त माहों की तिथियां गलत दर्शायी जाती हैं।

#### **6. मूल प्रमाण पत्र (प्रमाण पत्र अंक तालिका सहित) के सम्बंध में :-**

1. छात्रों को मूल प्रमाण पत्र वितरित करने से पूर्व प्रमाण पत्रों में अंकित, समस्त प्रविष्टियाँ मुख्यतः छात्र/छात्रा का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि आदि की शाला अभिलेखों से भली प्रकार से जांच करा लें और यदि प्रमाण पत्रों में अंकित प्रविष्टियों में किसी प्रकार का अन्तर हो तो पूर्ण जानकारी सहित मूल प्रमाण पत्र कार्यालय को संशोधनार्थ लौटा दें।

2. छात्रों को प्रमाण पत्र देने से पूर्व शाला अभिलेखों में प्रमाण पत्र वितरित किये छात्र का नाम, नामांक, वर्ष एवं परीक्षा तथा वितरित किये जाने की दिनांक का उल्लेख पृथक रूप से रजिस्टर में करें, तत्पश्चात प्रमाण पत्र के पिछले भाग पर वितरित करने की दिनांक हस्ताक्षर तथा विद्यालय की मुद्रा लगाकर प्रमाण पत्र छात्र को वितरित करें।

3. प्रमाण पत्र शाला में प्राप्त होते ही सम्बन्धित छात्र/छात्रा को सूचित कर दें कि उनके प्रमाण पत्र शाला में प्राप्त हो गये हैं और वे यथाशीघ्र इसे शाला से प्राप्त कर लें। छात्र यदि सूचना के पश्चात भी प्रमाण पत्र प्राप्त न करें तो अवितरित प्रमाण पत्रों को छः माह पश्चात इस कार्यालय को वापस लौटा दें।

4. समस्त प्रमाण पत्रों को अपनी पूर्ण सुरक्षा में रखें व वर्ष के अंत में संख्या का मिलान कर लें तथा जिन छात्रों का निधन हो गया है उन छात्रों के प्रमाण पत्र कार्यालय को लौटा दें। प्रमाण पत्रों का पूर्ण हिसाब रखें।

5. शाला से लौटे हुए स्वयंपाठी छात्रों के अवितरित प्रमाण पत्र यदि कोई छात्र वापस मंगवाना चाहे तो वह पांच वर्ष की अवधि तक बोर्ड कार्यालय को इस हेतु सादे कागज पर

आवेदन जिसमें उसके द्वारा उत्तीर्ण परीक्षा का नाम, वर्ष एवं नामांक लिखा हो मय शुल्क रु. 35/- (पोस्टल आर्डर) बोर्ड को सीधा भेज सकता है। नियमित छात्रों के प्रमाण-पत्र सम्बन्धित शाला को तथा स्वयंपाठी छात्रों के प्रमाण पत्र सम्बन्धित परीक्षा केन्द्रों पर भिजवा दिये जायेगे। कार्यालय में प्रमाण पत्र विगत पांच वर्षों के ही सुरक्षित रखे जाएंगे।

**6.** कार्यालय द्वारा श्रेणी -6 (अंक सुधार) व पूर्व ब्रिज कोर्स परीक्षा से उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है।

**7.** बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रलेखों के क्रम में :-

### **1. अस्थाई प्रमाण पत्र (Provisional Certificate) :**

जब तक कि मूल प्रमाण पत्र तैयार होकर छात्रों को प्रेषित नहीं होते तब तक के लिए उनके द्वारा रूपये 60/- शुल्क सहित विवरण देते हुए आवेदन करने पर बोर्ड कार्यालय प्रदान करता है।

### **2. अंक तालिका प्रतिलिपि (Duplicate Marksheet) :**

मूल अंकतालिका खो जाने अथवा नष्ट हो जाने की परिस्थिति में छात्रों द्वारा रूपये 40/- का निर्धारित शुल्क एवं पूर्ण विवरण सहित प्रार्थना पत्र प्रेषित करने पर उन्हें तदर्थ अंकतालिका की प्रतिलिपि प्रदान करता है।

### **3. (अ) विशेष अंकतालिका (Emergency Marksheets)**

जिन छात्रों को परीक्षा परिणाम घोषित होने के तुरन्त बाद अंकतालिका चाहिये वे बोर्ड कार्यालय से विशेष अंकतालिका रु. 60/- शुल्क सहित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्राप्त कर सकते हैं।

### **(ब) आवश्यक अंकतालिका प्रतिलिपि (Urgent Duplicate Marksheets) –**

अर्जेन्ट अंकतालिका हेतु रु. 60/- शुल्क सहित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्राप्त कर सकता है। सामान्यतः यह अंकतालिका परीक्षार्थियों को उसी दिन उपलब्ध करायी जाती है।

### **4. आंग्ल भाषित प्रमाण पत्र (English Version Certificate)**

पासपोर्ट के प्रथम चार पृष्ठों की फोटो प्रति अथवा विदेश/अहिन्दी भाषित प्रदेश में जाने का शपथ पत्र 10/- रु. का नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर देते हुये रूपये 75/- निर्धारित शुल्क व पूर्ण विवरण सहित आवेदन करने पर आंग्ल भाषित प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है।

### **5. प्रवृजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate)**

जो छात्र इस बोर्ड कार्यालय से बाहर अध्ययन के लिये जाते हैं, उन्हें प्रवृजन प्रमाण पत्र प्रदान किये जाते हैं। छात्र रु. 50/- निर्धारित शुल्क व पूर्ण विवरण सहित प्रार्थना पत्र प्रेषित कर यह प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

### **6. मूल प्रमाण-पत्र अथवा प्रमाण-पत्र अंकतालिका सहित प्रतिलिपि –**

मूल प्रमाण-पत्र अथवा प्रमाण-पत्र अंकतालिका सहित खो जाने अथवा नष्ट हो जाने की दशा में बोर्ड के निर्धारित प्रपत्र के अनुसार रु. 10/- के नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर छात्र अपना आवक्ष चित्र लगाकर प्रथम श्रेणी न्यायाधीश या नोटेरी पब्लिक द्वारा निष्पादित शपथ-पत्र प्रमाणित व सील लगाकर एवं निर्धारित शुल्क प्रमाण-पत्र के लिए रूपये 75/- तथा प्रमाण-पत्र अंकतालिका सहित के लिए रु. 100/- एवं पूर्ण विवरण सहित आवेदन करने पर प्रतिलिपि प्रदान की जा सकती है। प्रमाण-पत्र प्रतिलिपि व्यक्तिगत रूप से न देकर दिये गये पते पर भिजवायी जाती है। शपथ-पत्र एवं आवक्ष चित्र का प्रमाणीकरण एक ही न्यायाधीश / नोटेरी पब्लिक द्वारा होनी चाहिये।

वर्ष 2001 एवं इसके बाद की परीक्षाओं के लिए प्रतिलिपि प्रमाण-पत्र बिना फोटो मुद्रित के जारी किये जाएंगे।

### 7. टी.सी. की प्राप्ति :-

जिन स्वयंपाठी छात्रों ने अपने परीक्षार्थ आवेदन-पत्र के साथ पूर्व विद्यालय की टी.सी. परीक्षा की पात्रता की जांच हेतु संलग्न की हो उनके द्वारा चाहे जाने पर रूपये 25/- शुल्क सहित प्रार्थना पत्र प्रेषित करने पर मूल टी.सी. लौटा दी जाती है तथा फोटो प्रति कार्यालय अभिलेख में रख दी जाती है। इस प्रकार के प्रलेख 2 वर्ष तक सुरक्षित रखे जाते हैं।

बोर्ड द्वारा प्रदत्त अभिलेख अथवा अंकतालिका में अथवा किसी अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र अथवा अन्य किसी भी प्रलेख में अंकित प्रविष्टि में हरफेर अथवा रद्दोबदल पाये जाने पर बोर्ड द्वारा इस हेतु बनाये गये नियमानुसार दण्ड दिया जा सकता है।

**नोट :-** अभ्यर्थी द्वारा चाहा गया प्रलेख क्रमानुसार ही दिया जायेगा। इसमें लगने वाले यथोचित समय के लिए आवेदक बोर्ड से कोई क्लेम प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।

### वर्ष 2006 से 2011 तक के प्रतिलिपि प्रमाणपत्रों के सम्बंध में विशेष व्यवस्था :-

कार्यालय द्वारा दिनांक 04-08-2011 को जारी आदेश क्रमांक परीक्षा II/2011/6321 के अनुसार वर्ष 2006 से 2011 तक के अंकतालिका सह प्रमाण पत्र/ प्रतिलिपि प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया अमल में लाई जायें।

1. प्रार्थी को आवेदन पत्र के साथ नोटेरी से मय प्रमाणित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, साथ ही शपथ पत्र में यह भी अंकन करेगा कि मूल प्रमाण पत्र मिलने पर बोर्ड में पुनः जमा करा दूंगा तथा अखबारों में प्रमाण पत्र/अंकतालिका मय प्रमाण पत्र के खोने की विज्ञप्ति प्रकाशित करा दी है।

2. आवेदन पत्र के साथ प्रेस अधिसूचना के प्रकाशन की प्रति प्रस्तुत करनी होगी जिसमें अभ्यर्थी का नाम व पता पूरा आवश्यक है। प्रेस अधिसूचना का प्रारूप निम्नानुसार हो।

सूचित किया जाता है कि मा.शि.बोर्ड,राज., अजमेर से मुख्य परीक्षा/पूरक माध्यमिक /उच्चतर माध्यमिक परीक्षा ..... वर्ष ..... अनुक्रमांक ..... सहित उत्तीर्ण करने से संबंधित मेरा मूल/डुप्लीकेट प्रमाण पत्र वास्तव में खो गया/नष्ट हो गया /खराब (विकृत) हो गया है।

फोन नं. ....	अभ्यर्थी के हस्ताक्षर .....
मोबाईल नं. ....	अभ्यर्थी का नाम .....
	परा पता .....

3. सामान्यतः आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को पंजीकृत डाक द्वारा ही प्रमाण पत्र/अंकतालिका सह प्रमाण पत्र भेजा जावेगा।

4. विशेष परिस्थितियों में यदि विद्यार्थी चयनकर्ता संस्था के साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने के पत्र की प्रति प्रस्तुत कर दें तथा सहायक निदेशक परीक्षा प्रथम/द्वितीय उप निदेशक परीक्षा I/II/निदेशक (परीक्षा)/विशेषाधिकारी (परीक्षा)/सचिव में से कोई एक अधिकारी प्रार्थी को स्वयं को डुप्लीकेट प्रमाण पत्र By Hand अंकतालिका सह प्रमाण पत्र तत्काल देने के तथ्य से संतुष्ट हो तथा विद्यार्थी द्वारा निर्धारित शुल्क 1.30 P.M. तक जमा करा दिया हो तो कोई फोटो युक्त पहचान पत्र की प्रमाणित प्रति लेकर संबंधित पत्रावली पर रखकर प्राप्ति के हस्ताक्षर करा प्रमाण पत्र हाथों हाथ जारी किया जावेगा। सहायक निदेशक परीक्षा II ऐसे जारी किये गये दस्तावेजों का स्थायी रजिस्टर भी संधारित करेगे।

5. वर्ष 2006 से पूर्व के प्रमाण पत्रों के लिये शुल्क तथा डाक से भेजने की प्रक्रिया पूर्वानुसार ही रहेगी।

## अन्य बोर्ड / विश्वविद्यालय की परीक्षाओं की इस बोर्ड की परीक्षाओं से समकक्षता

अन्यथा प्रावधानों को छोड़कर सामान्य शर्तें जो नीचे लिखी गई हैं, सभी बोर्ड / विश्वविद्यालय की परीक्षाओं हेतु अनिवार्यतः लागू समझी जावेगी।

अन्य बोर्ड / विश्वविद्यालय से सैकण्डरी अथवा मान्य समकक्ष परीक्षा परीक्षार्थ लिये गये न्यूनतम 5 विषयों में प्रत्येक में न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण होने पर राजस्थान बोर्ड की माध्यमिक परीक्षा के समकक्ष मान्य होगा।

यदि अन्य बोर्ड से उत्तीर्ण माध्यमिक / सैकण्डरी परीक्षा में किसी विषय में 33 प्रतिशत से कम प्राप्तांक है तो अनुदेशिका के अनुच्छेद 1.7 (ब) (IV) के अनुसार सानुग्रह अंकों के आधार पर समकक्षता निर्धारित की जाएगी।

नई योजना के अन्तर्गत ओपन स्कूल पद्धति अथवा पत्राचार पद्धति के तहत संचालित राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, (राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय) नईदिल्ली, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल, हरियाणा ओपन स्कूल बोर्ड ऑफ एज्यूकेशन हरियाणा, मध्यप्रदेश राज्य ओपन स्कूल, भोपाल एवं राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर के अतिरिक्त अन्य किसी भी बोर्ड द्वारा संचालित ओपन स्कूल को इस बोर्ड द्वारा मान्यता नहीं दी गई है।

अन्य बोर्ड / विश्वविद्यालयों / संस्थान द्वारा आयोजित परीक्षाओं को राजस्थान बोर्ड की परीक्षाओं की समकक्ष मान्यता निम्नानुसार दी गई है।

क्र	अन्य बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा का नाम	राजस्थान बोर्ड की समकक्ष परीक्षा
1	2	3

### 1. बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एज्यूकेशन, आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. सैकण्डरी एग्जामिनेशन<br>(कक्षा 10 के अंत में)             | माध्यमिक परीक्षा |
| 2. हायर सैकण्डरी सर्टिफिकेट<br>एग्जामिनेशन (पुरानी स्कीम)    | माध्यमिक परीक्षा |
| 3. हाई स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट<br>एग्जामिनेशन (पुरानी स्कीम) | माध्यमिक परीक्षा |

<b>2. बोर्ड ऑफ इन्टरमीडियट एज्यूकेशन, आन्ध्र प्रदेश, विद्या भवन, नामापल्ली, हैदराबाद</b>		
1. सीनियर सैकण्डरी परीक्षा (कक्षा 12 के अंत में)	उच्च माध्यमिक परीक्षा	
<b>3. बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एज्यूकेशन, आसाम, गौहाटी</b>		
1. सैकण्डरी स्कूल एग्जामिनेशन (कक्षा 10 के अंत में)	माध्यमिक परीक्षा	
2. हाई स्कूल लीविंग सर्टीफिकेट परीक्षा (10+2 योजना के अन्तर्गत)	माध्यमिक परीक्षा	
<b>4. आसाम हायर सैकण्डरी एज्यूकेशन कॉसिल, जी.एन.बी. रोड, अम्बारी, गौहाटी—781001</b>		
1. हॉयर सैकण्डरी परीक्षा (कक्षा 12 के अंत में)	उच्च माध्यमिक परीक्षा	
<b>5. बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, सिन्हा लाइब्रेरी रोड, पटना—800017</b>		
1. सैकण्डरी स्कूल परीक्षा (कक्षा 10 के अंत में)	माध्यमिक परीक्षा	
<b>6. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा केन्द्र, प्रीत विहार, नई दिल्ली—110092</b>		
1. दिल्ली / सैकण्डरी स्कूल परीक्षा (कक्षा 10 उत्तीर्ण) (इन्टरनल स्कूल स्तर परीक्षा सहित)	माध्यमिक परीक्षा	
2. ऑल इंडिया सैकण्डरी स्कूल परीक्षा (इन्टरनल स्कूल स्तर परीक्षा सहित)	माध्यमिक परीक्षा	
3. सीनियर सैकण्डरी परीक्षा (कक्षा 12 के अंत में)	उच्च माध्यमिक परीक्षा	
<b>7. कौसिल फार इंडियन स्कूल सर्टीफिकेट एग्जामिनेशन, प्रगति हाऊस, नेहरू पैलेस, नई दिल्ली—110019</b>		
1. इंडियन सर्टीफिकेट ऑफ सैकण्डरी एज्यूकेशन (कक्षा 10 के अंत में)	माध्यमिक परीक्षा	
2. इंडियन स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा (कक्षा 12 के अंत में)	उच्च माध्यमिक परीक्षा	
<b>8. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान— नोएडा/राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली</b>		
1. सैकण्डरी स्कूल परीक्षा	माध्यमिक परीक्षा	
2. सीनियर सैकण्डरी स्कूल (1989 की परीक्षा से मान्य)	उच्च माध्यमिक परीक्षा	
<b>9. गोवा बोर्ड ऑफ सैकण्डरी/हायर सैकण्डरी एग्जामिनेशन अल्टोवेतिम, गोवा—403521</b>		
1. सैकण्डरी स्कूल परीक्षा (कक्षा 10 के अंत में)	माध्यमिक परीक्षा	

1	2	3
	2. सीनियर सैकण्डरी परीक्षा (कक्षा 12 के अंत में)	उच्च माध्यमिक परीक्षा
10.	<b>(अ) गुजरात सैकण्डरी, एज्यूकेशन बोर्ड, सेक्टर 10-बी गांधीनगर, गुजरात-382010</b>	
	1. सैकण्डरी स्कूल परीक्षा (कक्षा 10 के अंत में)	माध्यमिक परीक्षा
	<b>(ब) गुजरात एस.एस.सी. एग्जामिनेशन बोर्ड, गांधीनगर, बड़ौदा</b>	माध्यमिक परीक्षा
	1. एस.एस.सी. एग्जामिनेशन (पूर्व में परीक्षा 11वीं के बाद तथा नई योजनान्तर्गत 10वीं के बाद 1977 से)	माध्यमिक परीक्षा
	<b>(स) गुजरात सैकण्डरी एवं हायर सैकण्डरी एज्यूकेशन बोर्ड, सेक्टर 10-बी गांधीनगर, गुजरात-382010</b>	
	1. सैकण्डरी स्कूल परीक्षा (कक्षा 10 के अंत में) (बोर्ड के नाम में संशोधन वर्ष 2004 से)	माध्यमिक परीक्षा
	2. हायर सैकण्डरी परीक्षा (10 + 2)	सीनियर सैकण्डरी परीक्षा
	<b>(द) गुजरात एस.एस.सी. एंड हायर सैकण्डरी एग्जामिनेशन बोर्ड, गांधीनगर, बड़ौदा (गुजरात)</b>	
	1. एस.एस.सी. एग्जामिनेशन (पूर्व में परीक्षा 11वीं के बाद तथा नई योजनान्तर्गत 10वीं के बाद 1977 से) (बोर्ड के नाम में संशोधन वर्ष 2004 से)	माध्यमिक परीक्षा
11.	<b>बोर्ड ऑफ स्कूल एज्यूकेशन, हरियाणा, झांसी रोड, भिवानी-1265021</b>	
	1. सैकण्डरी स्कूल परीक्षा (कक्षा 10 के अंत में)	माध्यमिक परीक्षा
	2. मैट्रिकुलेशन परीक्षा	माध्यमिक परीक्षा
	3. हायर सैकण्डरी परीक्षा	हायर सैकण्डरी परीक्षा
	4. सीनियर सैकण्डरी परीक्षा (कक्षा 12 के अंत में)	उच्च माध्यमिक परीक्षा
12.	<b>हरियाणा ओपन स्कूल बोर्ड ऑफ एज्यूकेशन, हरियाणा</b>	
	1. मैट्रिक परीक्षा	माध्यमिक परीक्षा
	2. सीनियर सैकण्डरी परीक्षा	सीनियर सैकण्डरी परीक्षा
13.	<b>एच.पी. बोर्ड ऑफ स्कूल एज्यूकेशन, गयाना लोक परिसर, सिविल लाईन्स, धर्मशाला, जिला- कांगड़ा-176215 (हिमाचल प्रदेश)</b>	
	1. सैकण्डरी स्कूल परीक्षा	माध्यमिक परीक्षा

1	2	3
2.	मैट्रिकुलेशन परीक्षा	माध्यमिक परीक्षा
3.	हाँयर सैकण्डरी द्वितीय भाग परीक्षा	हायर सैकण्डरी परीक्षा
14.	जे. एण्ड के. स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एज्यूकेशन, रेहारी कॉलोनी, जम्मु/लाल मण्डी, श्रीनगर	
1.	सैकण्डरी स्कूल परीक्षा / मैट्रिकुलेशन परीक्षा	माध्यमिक परीक्षा
2.	सीनियर सैकण्डरी परीक्षा	उच्च माध्यमिक परीक्षा
15.	कर्नाटक सैकण्डरी एज्यूकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड, 6 वीं, क्रास मालेश्वरम् बैंगलोर—560003	
1.	सैकण्डरी स्कूल परीक्षा	माध्यमिक परीक्षा
2.	एस.एस.एल.सी. एग्जामिनेशन	माध्यमिक परीक्षा
16.	(अ) बोर्ड ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन केरल परीक्षा भवन, पूजापुरा, त्रिवेन्द्रम् – 695212	
1.	सैकण्डरी स्कूल परीक्षा	माध्यमिक परीक्षा
2.	एस.एस.एल.सी. एग्जामिनेशन	माध्यमिक परीक्षा
(ब)	बोर्ड ऑफ हायर सैकण्डरी एग्जामिनेशन तिरुवनंतपुरम्	
1.	हाँयर सैकण्डरी स्कूल परीक्षा (कक्षा—12)	सीनियर सैकण्डरी परीक्षा
17.	महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एंड हायर सैकण्डरी एज्यूकेशन, शिवाजीनगर, पूना—411004	
1.	सैकण्डरी स्कूल परीक्षा	माध्यमिक परीक्षा
2.	हायर सैकण्डरी सर्टीफिकेट एग्जामिनेशन	उच्च माध्यमिक परीक्षा
	(उच्च माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा)	
	उपरोक्त बोर्ड के आठ विभाग निम्नानुसार हैं –	
(अ)	पूना डिविजन बोर्ड, पूर्व में एस.एस.सी. एग्जामिनेशन बोर्ड, पूना	
(ब)	औरंगाबाद डिविजनल बोर्ड, औरंगाबाद	
(स)	नागपुर डिविजन बोर्ड, नागपुर	
(द)	मुम्बई डिविजनल बोर्ड, मुम्बई	
(य)	कोल्हापुर डिविजनल बोर्ड, कोल्हापुर	
(र)	अमरावती डिविजनल बोर्ड, अमरावती	
(ल)	नासिक डिविजनल बोर्ड, नासिक	
(व)	लातूर डिविजनल बोर्ड, लातूर	
18.	बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एज्यूकेशन, मध्यप्रदेश, भोपाल—462011	
1.	सैकण्डरी स्कूल परीक्षा	माध्यमिक परीक्षा
2.	हाई स्कूल सर्टीफिकेट एग्जामिनेशन	माध्यमिक परीक्षा

1

2

3

3.	हाई स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा (ओपन स्कूल)	माध्यमिक परीक्षा
4.	सैकण्डरी स्कूल सर्टीफिकेट एग्जामिनेशन	माध्यमिक परीक्षा
5.	हाई स्कूल सर्टीफिकेट एग्जामिनेशन (न्यू पैटर्न)	माध्यमिक परीक्षा
6.	हायर सैकण्डरी स्कूल सर्टीफिकेट बी एग्जामिनेशन	हायर सैकण्डरी परीक्षा
7.	हायर सैकण्डरी स्कूल सर्टीफिकेट एग्जामिनेशन (न्यू पैटर्न)	हायर सैकण्डरी परीक्षा
8.	हायर सैकण्डरी स्कूल सर्टीफिकेट (10+2)	उच्च माध्यमिक परीक्षा
<b>19.</b>	<b>मध्यप्रदेश राज्य ओपन स्कूल, भोपाल</b>	
1.	हाई स्कूल परीक्षा (वर्ष 1997 की परीक्षा से मान्य)	माध्यमिक परीक्षा
2.	हायर सैकण्डरी परीक्षा (वर्ष 1997 की परीक्षा से मान्य)	उच्च माध्यमिक परीक्षा
<b>20.</b>	<b>बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एज्यूकेशन, मणीपुर, इम्फाल-795001</b>	
1.	सैकण्डरी स्कूल परीक्षा / हाई स्कूल लीविंग सर्टीफिकेट	माध्यमिक परीक्षा
2.	सीनियर सैकण्डरी परीक्षा	उच्च माध्यमिक परीक्षा
<b>21.</b>	<b>मेघालय बोर्ड ऑफ स्कूल एज्यूकेशन, तुर्सा, वेस्ट गोरीहिल्स, मेघालय-794101</b>	
1.	सैकण्डरी स्कूल परीक्षा	माध्यमिक परीक्षा
2.	हाई स्कूल लीविंग सर्टीफिकेट परीक्षा	माध्यमिक परीक्षा
<b>22.</b>	<b>मिजोरम बोर्ड ऑफ स्कूल एज्यूकेशन, आइजवाल-796001</b>	
1.	सैकण्डरी स्कूल परीक्षा	माध्यमिक परीक्षा
2.	हाई स्कूल लीविंग सर्टीफिकेट परीक्षा (एच.एस.एल.सी.)	माध्यमिक परीक्षा
<b>23.</b>	<b>नागालैण्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एज्यूकेशन, कोहिमा-797001</b>	
1.	सैकण्डरी स्कूल परीक्षा	माध्यमिक परीक्षा
2.	हाई स्कूल लीविंग सर्टीफिकेट परीक्षा	माध्यमिक परीक्षा
<b>24.</b>	<b>कौन्सिल ऑफ हायर सैकण्डरी एज्यूकेशन, उड़ीसा, भुवनेश्वर</b> हायर सैकण्डरी परीक्षा (कक्षा 12 के अन्त में)	उच्च माध्यमिक परीक्षा
<b>25.</b>	<b>बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एज्यूकेशन, उड़ीसा कटक-753001 (उड़ीसा)</b>	
1.	सैकण्डरी स्कूल परीक्षा	माध्यमिक परीक्षा
2.	हाई स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा / सैकण्डरी स्कूल परीक्षा	माध्यमिक परीक्षा
3.	हायर सैकण्डरी स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा	हायर सैकण्डरी परीक्षा
<b>26.</b>	<b>पंजाब स्कूल एज्यूकेशन बोर्ड, एस.ए.एस. (रोपड) मोहाली-160055</b>	
1.	सैकण्डरी स्कूल परीक्षा	माध्यमिक परीक्षा

1	2	3
	2. मैट्रिकुलेशन परीक्षा (1970 से 1985 तक) (सैकण्डरी परीक्षा 1986 तथा मैट्रिकुलेशन परीक्षा 1987 से 10+2 प्रणाली के अन्तर्गत)	माध्यमिक परीक्षा
27.	3. सीनियर सैकण्डरी परीक्षा <b>(अ) तमिलनाडु बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एज्यूकेशन, डिपार्टमेन्ट ऑफ गवर्नमेन्ट पब्लिक एग्जामिनेशन, कॉलेज रोड, चैन्नई-600006 (तमिलनाडु)</b> 1. सैकण्डरी स्कूल परीक्षा(10+2) एस.एस.एल.सी. परीक्षा <b>(ब) स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एग्जामिनेशन, चैन्नई (तमिलनाडु) डायरेक्टर ऑफ गवर्नमेन्ट एग्जामिनेशन ऑफ तमिलनाडु द्वारा संचालित</b> सैकण्डरी स्कूल परीक्षा (किन्हीं पांच विषय में 33 प्रतिशत अंकों सहित उत्तीर्ण हों) <b>(स) बोर्ड ऑफ मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, मद्रास, तमिलनाडु (डिपार्टमेन्ट ऑफ गवर्नमेन्ट एग्जामिनेशन मद्रास द्वारा संचालित)</b> मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन	उच्च माध्यमिक परीक्षा माध्यमिक परीक्षा माध्यमिक परीक्षा
28.	<b>(अ) बोर्ड ऑफ हायर सैकण्डरी एज्यूकेशन, चैन्नई-600006 (तमिलनाडु)</b> 1. सीनियर सैकण्डरी स्कूल परीक्षा (12 वीं कक्षा के बाद) <b>(ब) बोर्ड ऑफ हायर सैकण्डरी एज्यूकेशन, मद्रास (तमिलनाडु)</b> (डायरेक्टर ऑफ गवर्नमेन्ट एग्जामिनेशन मद्रास द्वारा संचालित) हॉयर सैकण्डरी कोर्स सर्टाफिकेट एग्जामिनेशन	उच्च माध्यमिक परीक्षा सीनियर सैकण्डरी परीक्षा
29.	<b>त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एज्यूकेशन, पोस्ट अभ्यनगर, अगरतला-799005</b> 1. सैकण्डरी स्कूल परीक्षा (सैकण्डरी स्कूल परीक्षा अंग्रेजी सहित अगर छात्र प्रत्येक विषय ग्रुप में 34 प्रतिशत प्राप्तांकों से उत्तीर्ण है)	माध्यमिक परीक्षा
30.	2. सीनियर सैकण्डरी स्कूल परीक्षा <b>माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तरप्रदेश (बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एण्ड इन्टरमिडियट एज्यूकेशन, उत्तरप्रदेश)</b> 1. हाई स्कूल परीक्षा/सैकण्डरी स्कूल परीक्षा 2. इन्टरमिडियट परीक्षा	उच्च माध्यमिक परीक्षा माध्यमिक परीक्षा उच्च माध्यमिक परीक्षा
31.	<b>पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एज्यूकेशन, कोलकाता-7000016</b> 1. सैकण्डरी स्कूल परीक्षा 2. स्कूल फाइनल एग्जामिनेशन (प्रत्येक चार ग्रुप में 34 प्रतिशत प्राप्तांकों से उत्तीर्ण/अतिरिक्त विषय को नहीं)	माध्यमिक परीक्षा माध्यमिक परीक्षा

1	2	3
	3. माध्यमिक परीक्षा (सैकण्डरी एग्जामिनेशन)	माध्यमिक परीक्षा
32.	4. हाँयर सैकण्डरी एग्जामिनेशन (11 वीं कक्षा के बाद)	हाँयर सैकण्डरी परीक्षा
33.	वेस्ट बंगाल कॉसिल ऑफ हाँयर सैकण्डरी एज्यूकेशन, विकास भवन, नार्थ एण्ड ईस्ट ब्लॉक (दूसरा माला) साल्ट लेक, कोलकाता-700091	उच्च माध्यमिक परीक्षा
34.	बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एज्यूकेशन, हैदराबाद (पश्चिम पाकिस्तान) सैकण्डरी स्कूल सर्टीफिकेट एग्जामिनेशन	माध्यमिक परीक्षा
35.	उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल (उत्तराखण्ड) <b>(Board of School Education, Uttarakhand)</b>	
	1. हाई स्कूल परीक्षा / सैकण्डरी स्कूल परीक्षा	माध्यमिक परीक्षा
	2. इन्टरमिडियट परीक्षा	उच्च माध्यमिक परीक्षा
36.	छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल (छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एज्यूकेशन) रायपुर छत्तीसगढ़	
	1. हाई स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा (नियमित एवं पत्राचार)	माध्यमिक परीक्षा
	2. हाँयर सैकण्डरी सर्टीफिकेट परीक्षा (नियमित एवं पत्राचार 10+2)	उच्च माध्यमिक परीक्षा
(अ)	झारखण्ड माध्यमिक परीक्षा परिषद, (झारखण्ड सैकण्डरी एग्जामिनेशन बोर्ड ) रांची, झारखण्ड	
	सैकण्डरी स्कूल परीक्षा	माध्यमिक परीक्षा
(ब)	झारखण्ड अधिविद्य परिषद, ज्ञानदीप परिसर, बड़गावा, नामकुम, रांची	
	1. सैकण्डरी स्कूल परीक्षा (किन्हीं पांच विषयों में 33 प्रतिशत अंकों सहित उत्तीर्ण हो)	माध्यमिक परीक्षा
	2. इन्टरमिडियट (10+2)	सीनियर सैकण्डरी परीक्षा

### अन्य विश्वविद्यालय

37.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़	
	1. सैकण्डरी स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा (पार्ट-2) (कक्षा-10)	माध्यमिक परीक्षा
	2. हाई स्कूल वूमैन प्राइवेट एग्जामिनेशन्स	माध्यमिक परीक्षा
	3. सीनियर सैकण्डरी स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा (पार्ट-2) (कक्षा-12)	उच्च माध्यमिक परीक्षा

1

2

3

<b>38. आन्ध्र विश्वविद्यालय, वालटेयर</b>		
1. मैट्रिकुलेशन परीक्षा एवं मैट्रिकुलेशन परीक्षा (न्यू रेगुलेशन)		माध्यमिक परीक्षा
2. प्री यूनिवर्सिटी परीक्षा		हायर सैकण्डरी परीक्षा
<b>39. अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, अन्नामलाई नगर</b>		
1. मैट्रिकुलेशन परीक्षा		माध्यमिक परीक्षा
2. प्री यूनिवर्सिटी परीक्षा		हायर सैकण्डरी परीक्षा
<b>40. उस्मानिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद (दक्षिण)</b>		
1. मैट्रिकुलेशन परीक्षा (पुराना एवं न्यू रेगुलेशन)		माध्यमिक परीक्षा
2. प्री यूनिवर्सिटी परीक्षा		हायर सैकण्डरी परीक्षा
<b>41. उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर</b>		
1. मैट्रिकुलेशन परीक्षा		माध्यमिक परीक्षा
2. प्री यूनिवर्सिटी परीक्षा		हायर सैकण्डरी परीक्षा
<b>42. कलकत्ता विश्वविद्यालय, कोलकाता</b>		
1. हाई स्कूल परीक्षा		माध्यमिक परीक्षा
2. प्री यूनिवर्सिटी परीक्षा		हायर सैकण्डरी परीक्षा
<b>43. केरल विश्वविद्यालय, त्रिवेन्द्रम</b>		
1. मैट्रिकुलेशन परीक्षा		माध्यमिक परीक्षा
2. प्री यूनिवर्सिटी परीक्षा		हायर सैकण्डरी परीक्षा
<b>44. वोकेशनल हायर सैकण्डरी एज्यूकेशन बोर्ड, त्रिवेन्द्रम (केरल सरकार शिक्षा विभाग)</b>		
वोकेशनल हायर सैकण्डरी परीक्षा (व्यावसायिक)		उच्च माध्यमिक परीक्षा
<b>45. गोहाटी विश्वविद्यालय, गोहाटी</b>		
1. मैट्रिकुलेशन परीक्षा		माध्यमिक परीक्षा
<b>46. जम्मू एण्ड कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर/जम्मू</b>		
1. मैट्रिकुलेशन परीक्षा		माध्यमिक परीक्षा
<b>47. जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता (कोलकाता)</b>		
1. प्रिपेरेटरी (आर्ट्स एण्ड साइंस) परीक्षा (त्रिवर्षीय डिग्री कोर्स में प्रवेश के लिये संचालित)		हायर सैकण्डरी परीक्षा
<b>48. देहली विश्वविद्यालय, देहली</b>		
क्वालीफाइंग परीक्षा		हायर सैकण्डरी परीक्षा
<b>49. नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर</b>		
1. हाई स्कूल परीक्षा		माध्यमिक परीक्षा
2. प्री यूनिवर्सिटी परीक्षा		हायर सैकण्डरी परीक्षा

1

2

3

<b>50.</b>	<b>पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़</b>	
1.	हायर सैकण्डरी कोर परीक्षा	माध्यमिक परीक्षा
2.	मैट्रिकुलेशन परीक्षा (पुरानी पद्धति वाली यदि 5 विषयों सहित परीक्षा उत्तीर्ण की हो)	माध्यमिक परीक्षा
3.	हायर सैकण्डरी पार्ट-1 परीक्षा	माध्यमिक परीक्षा
4.	प्री यूनिवर्सिटी परीक्षा	हायर सैकण्डरी परीक्षा
5.	हायर सैकण्डरी परीक्षा	हायर सैकण्डरी परीक्षा
6.	हायर सैकण्डरी पार्ट-2 परीक्षा (पुरानी स्कीम) (1970 से कम संख्या 4 के अलावा अन्य परीक्षाओं का संचालन विश्वविद्यालय ने बंद कर दिया है)	हायर सैकण्डरी परीक्षा
<b>51.</b>	<b>पटना विश्वविद्यालय, पटना</b>	
1.	मैट्रिकुलेशन परीक्षा	माध्यमिक परीक्षा
<b>52.</b>	<b>पूना विश्वविद्यालय, पूना</b>	
1.	हाई स्कूल परीक्षा	माध्यमिक परीक्षा
2.	प्री डिग्री परीक्षा (जिसने हायर सैकण्डरी परीक्षा भी अग्रेजी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली हो)	हायर सैकण्डरी परीक्षा
<b>53.</b>	<b>बम्बई विश्वविद्यालय, मुम्बई</b>	
1.	मैट्रिकुलेशन परीक्षा	माध्यमिक परीक्षा
<b>54.</b>	<b>मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास</b>	
1.	मैट्रिकुलेशन / एस.एस.एल.सी. परीक्षा	माध्यमिक परीक्षा
<b>55.</b>	<b>मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर</b>	
	प्री यूनिवर्सिटी परीक्षा	हायर सैकण्डरी परीक्षा
<b>56.</b>	<b>महाराजा जियाजी राव बड़ौदा विश्वविद्यालय, बड़ौदा</b>	
	प्रिपरेटरी परीक्षा	हायर सैकण्डरी परीक्षा
<b>57.</b>	<b>विश्वभारती विश्वविद्यालय, शान्ति निकेतन (पश्चिम बंगाल) कोलकाता</b>	
1.	स्कूल फाइनल एग्जामिनेशन / हाई स्कूल लीविंग सर्टीफिकेट	माध्यमिक परीक्षा
2.	हायर स्कूल सर्टीफिकेट एग्जामिनेशन	हायर सैकण्डरी परीक्षा
<b>58.</b>	<b>वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी, तिरुपति</b>	
1.	मैट्रिकुलेशन परीक्षा	माध्यमिक परीक्षा
2.	प्री यूनिवर्सिटी परीक्षा	हायर सैकण्डरी परीक्षा
<b>59.</b>	<b>श्रीमती नाथीबाई दामोदरदास ठाकरसी विमेन्स विश्वविद्यालय, मुम्बई</b>	
1.	हाई स्कूल परीक्षा	माध्यमिक परीक्षा
2.	प्री यूनिवर्सिटी परीक्षा	हायर सैकण्डरी परीक्षा

1

2

3

<b>60.</b> कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़		हायर सैकण्डरी परीक्षा
प्री यूनिवर्सिटी परीक्षा		
<b>61.</b> सम्बलपुर विश्वविद्यालय, सम्बलपुर		हायर सैकण्डरी परीक्षा
प्री यूनिवर्सिटी परीक्षा		
<b>62.</b> शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर		हायर सैकण्डरी परीक्षा
प्री यूनिवर्सिटी परीक्षा		
<b>63.</b> उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद		माध्यमिक परीक्षा
मैट्रिकुलेशन परीक्षा		
(10 वीं स्टेप्डर्ड, न्यू रेगुलेशन)		
<b>64.</b> मदुराई विश्वविद्यालय, मदुराई		माध्यमिक परीक्षा
मैट्रिकुलेशन परीक्षा		
<b>65.</b> जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली		हायर सैकण्डरी परीक्षा
जामिया हायर सैकण्डरी परीक्षा		

**अन्य संस्थाएं**

<b>66.</b> राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली		उपाध्याय / हायर सैकण्डरी परीक्षा
मध्यमा परीक्षा		
<b>67.</b> गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार (उत्तरांचल)		माध्यमिक परीक्षा
1. विद्याधिकारी परीक्षा		
(दो वर्षीय पाठ्यक्रम)		
2. विद्या विनोद परीक्षा		हायर सैकण्डरी परीक्षा
<b>68.</b> गुरुकुल महाविद्यालय, ज्वालापुर हरिद्वार (उत्तरांचल)		माध्यमिक परीक्षा / प्रवेशिका परीक्षा
1. विद्यारत्न परीक्षा		
(उक्त परीक्षा अंग्रेजी अनिवार्य विषयों सहित		
प्रत्येक विषय में न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण हो)		
<b>69.</b> सरदार वल्लभ भाई विद्यापीठ वल्लभ विद्यानगर (आनन्द)		हायर सैकण्डरी परीक्षा
प्रिपेरटरी परीक्षा		
<b>70.</b> बोर्ड ऑफ इण्टरमीडियट एण्ड सैकण्डरी एज्यूकेशन, ढाका		माध्यमिक परीक्षा
हाई स्कूल परीक्षा		
<b>71.</b> चीफ्स कॉलेज		माध्यमिक परीक्षा
डिप्लोमा परीक्षा		
<b>72.</b> इण्डियन नेवी		माध्यमिक परीक्षा
हायर एज्यूकेशन टेस्ट		
<b>73.</b> नेपाल सरकार		माध्यमिक परीक्षा
एस.एल.सी. परीक्षा		

1

2

3

<b>74.</b>	<b>ट्रावनकोर स्टेट</b> इंगिलिश स्कूल लीविंग सर्टीफिकेट एग्जामिनेशन	माध्यमिक परीक्षा
<b>75.</b>	<b>बर्मा</b> इंगिलिश हाई स्कूल एण्ड ऐगलो वर्नाक्यूलर हाई स्कूल एग्जामिनेशन	माध्यमिक परीक्षा
<b>76.</b>	<b>कोचीन स्टेट</b> एस.एस.एल.सी. परीक्षाओं (यदि परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी मद्रास विश्वविद्यालय में प्रवेश के योग्य हो)	माध्यमिक परीक्षा
<b>77.</b>	<b>सीलोन (श्रीलंका)</b> जी.सी.ई. (आर्डिनरी लेवल)	माध्यमिक परीक्षा
<b>78.</b>	<b>फ्रेन्च परीक्षाएं</b> 1. Brevet Elementiar (Francais) 2. Brebeted Etnds de premier Cycle (BEPC) 3. Breveted Ensignment Premic superior de Language Indienne (Tamil) 4. Breveted Language Indienne (Telgu & Malayalam)	माध्यमिक परीक्षा माध्यमिक परीक्षा माध्यमिक परीक्षा माध्यमिक परीक्षा
<b>79.</b>	<b>दी यूरोपियन स्कूल इन सेन्ट्रल प्रोविन्स एण्ड अदर प्रोविन्स</b> हाई स्कूल परीक्षा	माध्यमिक परीक्षा
<b>80.</b>	<b>दी लन्दन यूनिवर्सिटी, लन्दन</b> 1. मेट्रिकुलेशन परीक्षा 2. दी जनरल सर्टीफिकेट ऑफ एज्यूकेशन (आर्डिनरी)	माध्यमिक परीक्षा माध्यमिक परीक्षा
<b>81.</b>	<b>दी इण्डियन फोर्स</b> मेट्रिकुलेशन टेस्ट	माध्यमिक परीक्षा
<b>82.</b>	<b>दी इण्डियन आर्मी</b> 1. स्पेशल सर्टीफिकेट ऑफ एज्यूकेशन (नवम्बर 1980 के बाद से उक्त परीक्षा बन्द कर दी गई) 2. सैनिक प्रशिक्षण निदेशालय, नई दिल्ली (1980 के केन्द्रीय बोर्ड पाठ्यक्रम पर आधारित) 3. आर्मी हायर सैकण्डरी सर्टीफिकेट एज्यूकेशन परीक्षा	माध्यमिक परीक्षा माध्यमिक परीक्षा हायर सैकण्डरी परीक्षा

1

2

3

<b>83.</b>	<b>दी ब्रिटिश सिविल सर्विसेज कमीशन फोर्सेज प्रीलिमिनरी परीक्षा</b>	माध्यमिक परीक्षा
<b>84.</b>	<b>राष्ट्रीय इण्डियन मिलिंट्री कॉलेज, देहरादून आर.आई.एम.सी. हायर सैकण्डरी डिप्लोमा परीक्षा</b>	हायर सैकण्डरी परीक्षा
<b>85.</b>	<b>सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी</b>	
	1. प्रथमा	अष्टम समकक्ष
	2. पूर्व मध्यमा (अंग्रेजी सहित) (दो वर्षीय पाठ्यक्रम)	प्रवेशिका
	3. मध्यमा (अंग्रेजी सहित)	उपाध्याय
	4. उत्तर मध्यमा (अंग्रेजी सहित) (दो वर्षीय पाठ्यक्रम) (समकक्षता केवल संस्कृत परीक्षाओं के लिए) वर्ष 2001 तक	वरिष्ठ उपाध्याय
<b>86.</b>	<b>बनस्थली विद्यापीठ, बनस्थली</b>	
	1. सैकण्डरी परीक्षा (दो वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण)	माध्यमिक परीक्षा
	2. सीनियर सैकण्डरी परीक्षा	सीनियर सैकण्डरी परीक्षा
<b>87.</b>	<b>उत्तरप्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् शाहमीना रोड, लखनऊ (सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के पाठ्यक्रमानुसार)</b>	
	1. पूर्व मध्यमा	प्रवेशिका
	2. मध्यमा (अंग्रेजी सहित)	उपाध्याय
	3. उत्तर मध्यमा (अंग्रेजी सहित)	वरिष्ठ उपाध्याय
<b>88.</b>	<b>राजस्थान स्टेट ऑपन स्कूल, जयपुर</b>	
	1. सैकण्डरी स्कूल परीक्षा (न्यूनतम पांच विषयों सहित प्रत्येक विषय में 33 प्रतिशत अंकों सहित उत्तीर्ण)	माध्यमिक परीक्षा
	2. सीनियर सैकण्डरी परीक्षा (33 प्रतिशत अंकों सहित उत्तीर्ण)	उच्च माध्यमिक परीक्षा
<b>89.</b>	<b>यूनिवर्सिटी ऑफ केम्ब्रिज इन्टरनेशनल एज्जामिनेशन</b> आई.जी.सी.एस.ई. (इन्टरनेशनल जनरल सर्टीफिकेट ऑफ सैकण्डरी एज्यूकेशन) (सत्र 2009–10 से)	माध्यमिक परीक्षा

**नोट :** वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के द्वारा जारी प्रमाण पत्रों को अमान्य समझा जाये तथा सन् 1974 के पूर्व वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही वैध रहेंगे। सन् 1974 के पश्चात इसी विश्वविद्यालय का नाम “सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय” होने से वैधता इसी नाम से बनी रहेगी।

**टिप्पणी :** सैन्ट्रल बोर्ड ऑफ हायर एज्यूकेशन तथा ईस्ट पटेलनगर, नई दिल्ली स्थित सैन्ट्रल बोर्ड ऑफ हाई एज्यूकेशन, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाएं नहीं हैं।

**प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि लेने हेतु आवेदन-पत्र का नमूना**

परीक्षार्थी का नाम .....

पिता का नाम श्री .....

माता का नाम श्रीमती .....

उत्तीर्ण परीक्षा के नाम के ऊपर ( ✓ ) का निशान अंकित करें—सैकण्डरी/हायरसैकण्डरी/प्रवेशिका/उपाध्याय/हाई स्कूल/सीनियर हायर सैकण्डरी /वरिष्ठ उपाध्याय

उत्तीर्ण परीक्षा का विवरण :-

वर्ष ..... 19 .....

नामांक (Roll No.) मुख्य .....

पूरक .....

श्रेणी (Division) .....

शाला का नाम (नियमित परीक्षार्थी हेतु).....

केन्द्र का नाम (नियमित/स्वयंपाठी हेतु) .....

निधारित शुल्क रु. 75/- वर्ष 2000 से पूर्व उत्तीर्ण परीक्षा हेतु तत्पश्चात् उत्तीर्ण

परीक्षार्थी हेतु रु. 100/- प्रतिवर्ष रु. (प्रति प्रमाण-पत्र)

बोर्ड कार्यालय में भेजने का विवरण

प्रमाण पत्र प्रतिलिपि मांगने का कारण खो गया है/नष्ट हो गया है या अन्य कोई कारण

(सही ( ✓ ) का निशान लगायें )

पृष्ठ भाग के अनुसार निर्धारित शपथ पत्र संलग्न है। अतः प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि जारी करने का कष्ट करें।

दिनांक .....

हस्ताक्षर परीक्षार्थी .....

पूर्व पता .....

..... पिन कोड .....

Mob. No./Cell Phone .....

लैण्ड लाईन नं. .....

**नोट -** प्रमाण पत्र प्रतिलिपि छात्र/छात्रा को बोर्ड कार्यालय में नहीं दी जाती है। केवल रजिस्टर्ड डाक से ही भेजी जाती है। अतः प्रार्थी पूर्ण पता पिन कोड सहित स्पष्ट अंकित करें।

परीक्षा का नाम	नामांक	वर्ष	उत्तीर्ण से परीक्षा के लिए प्रीक्षार्थियों के लिए केवल पूर्फुल परीक्षा के लिए
मुख्य परीक्षा		19	
मुख्य परीक्षा (Supply)		19	
मुख्य परीक्षा		19	
मुख्य परीक्षा		19	

## प्रतिलिपि प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु शपथ-पत्र का नमूना

(दस रूपये के स्टाम्प पेपर पर अंकित करना है)

1. मैं ..... पुत्र/पुत्री श्री ..... जाति ..... निवासी (पता) ..... शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि मैंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान से हाई स्कूल/सैकण्डरी स्कूल/हायर सैकण्डरी/प्रवेशिका/सीनियर हायर सैकण्डरी/वरिष्ठ उपध्याय/उपाध्याय परीक्षा वर्ष ..... में नामांक (Roll No.) मुख्य परीक्षा ....., पूरक परीक्षा नामांक ..... वर्ष ....., द्वितीय अवसर पूरक परीक्षा नामांक ..... तृतीय अवसर पूरक परीक्षा नामांक ..... वर्ष ..... से नियमित (Regular) स्वयंपाठी (Private) परीक्षार्थी के रूप में ..... जिले से ..... श्रेणी (Division) में उत्तीर्ण की थी।
  2. मेरा उपरोक्त परीक्षा का मूल प्रमाण पत्र जो कि बोर्ड कार्यालय से प्राप्त हुआ था, खो गया है/जल गया है/फट गया है/ शाला से मेरे न लेने के कारण बोर्ड द्वारा नष्ट कर दिया गया है ..... के कारण खराब हो गया है जो मूल ही संलग्न है।
  3. उक्त कारण से मुझे अपने मूल प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि की आवश्यकता है।
  4. मैं ..... शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि इस शपथ पत्र में ऊपर लिखी हुई सभी बातें बिल्कुल सत्य हैं इसमें कोई मिथ्या नहीं है तथा कोई बात छिपाई नहीं है। ईश्वर इसके लिए मेरा साक्षी है। यदि इसमें वर्णित तथ्य कभी भी असत्य हो तो मेरे विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु बोर्ड को पूर्ण अधिकार होगा।
1. .... (हस्ताक्षर हिन्दी में)  
2. .... (हस्ताक्षर अंग्रेजी में)

आवक्ष चित्र के लिए स्थान
आवक्ष चित्र पर भी न्यायाधीश/नोटेरी पब्लिक के हस्ताक्षर पद की रबर सील लगी हो

पता : (जिस पर प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि मंगानी हो)

.....  
.....  
.....  
..... पिन कोड .....  
Mob No. .... Cell Phone No. ....

श्री ..... पुत्र/पुत्री श्री ..... निवासी ..... ने जिसका परिचय श्री ..... ने दिया है, ने मेरे समक्ष आज दिनांक ..... को उक्त शपथ ली।

कोर्ट/नोटेरी पब्लिक  
गोल सील

हस्ताक्षर प्रथम श्रेणी न्यायाधीश/  
नोटेरी पब्लिक तथा  
पद की रबर सील

## आवश्यक सूचना

राजस्थान के बाहर से आये सैकण्डरी स्कूल एवं समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को शाला की कक्षा-11 एवं कक्षा-12 में प्रवेश देने से पूर्व कृपया ध्यान रखें कि इस कार्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त किये बिना किसी भी स्थिति में शाला में प्रवेश न दें। प्रायः देखा गया है कि शाला प्रधान छात्रों के परीक्षार्थ आवेदन पत्र अग्रेषित करते समय ही पात्रता प्राण पत्र हेतु आवेदन करते हैं। उस समय बोर्ड द्वारा उनके प्रलेखों की जांच करने पर पाया जाता है कि कतिपय छात्र कक्षा-12 में प्रवेश योग्य नहीं होते हैं। ऐसा करने से छात्र/छात्रा के दो साल (कक्षा - 11व 12) बर्बाद हो जाते हैं। इसी प्रकार छात्रों के आवेदन पत्र बोर्ड द्वारा जांच करते समय उपरोक्त कमी पायी जाती है। फलस्वरूप छात्र/छात्रा अपने प्रवेशार्थ मामलों को लेकर न्यायालय में याचिका दायर करते हैं इसके कारण बोर्ड की छवि धूमिल होती है।

कृपया ऐसी स्थिति किसी भी परिस्थिति में उत्पन्न नहीं करें। अगर शाला प्रधान द्वारा उपरोक्त त्रुटि की जाती है तो पूर्ण जिम्मेदारी शाला प्रधान की ही होगी। ऐसे सभी मामलों में निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को बोर्ड द्वारा विस्तृत रिपोर्ट आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावेगी।

पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु मूल अंकतालिका, प्रवजन प्रमाण-पत्र, मय छाया प्रति के व शुल्क के रु. 50/- प्राप्त कर आप द्वारा अग्रेषित प्रार्थना पत्र की जुलाई के प्रथम/द्वितीय सप्ताह में पंजीकृत डाक से कार्यालय को अवश्य भिजवा दें ताकि समय से आपको पात्रता प्रमाण-पत्र भिजवाया जा सके। विलम्ब से प्रेषित प्रार्थना पत्र पर विचार करना सम्भव नहीं होगा जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आप स्वयं का होगा। स्वअध्ययन के मामले में निर्देशानुसार कार्यवाही कर जुलाई/अगस्त माह में अनुमति प्राप्त कर लें।

## आवश्यक सूचना

1. बोर्ड कार्यालय द्वारा परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व नियमित छात्रों की नामावली (नोमीनल रोल) शालाओं को पुष्टि हेतु भेजी जाती है, जिससे कि शाला प्रधान नोमीनल रोल का अपने शाला अभिलेखों से मिलान करें। यदि कोई संशोधन अपेक्षित हो तो इस कार्यालय को शीघ्र ही सूचित करना चाहिए, जिससे संशोधन यथासमय हो सके। संशोधन नहीं होने से परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात् जब छात्र को अंकतालिका प्रमाण—पत्र आदि जारी की जाती है तो उस समय अनावश्यक कार्यवाही संशोधन हेतु करनी पड़ती है।
2. जो शालाएं नव क्रमोन्तत हुई हैं, उन्हें बोर्ड कार्यालय में मान्यता शुल्क जमा कराकर पात्रता हेतु आवेदन यथासमय कर लेना चाहिए। बिना मान्यता प्रक्रिया प्रारम्भ हुए नियमित परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

## —: सम्पर्क सूत्र :—

### दूरभाष (कार्यालय)

निदेशक परीक्षा	0145—2420071
सचिव	0145—2420597
पी.बी.एक्स.	0145—2632866 से 2632873
परीक्षा—द्वितीय (प्रलेख विभाग)	257, 259 तथा 201 (Ext.)
फैक्स	0145—2627394